

संयुक्तांक

अप्रैल-जून एवं जुलाई-सितंबर, 2021

News Letter

पुनर्जीवा

..bouncing back to life again and again....



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार



बाढ़ से सुरक्षा

क्या करें?

- अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान की मजबूती के लिए सीमेंट आदि से घर का निर्माण करें। बाढ़ से मिट्टी का घर जल्दी ढह जाता है।
- घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय की जानकारी हो।
- आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटा रेडियो, टॉर्च, बैट्री, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाइयां आदि हो।
- पोलीथिन बैग या वाटरप्रूफ बैग में कपड़े, महंगे सामान, छाता, चीनी, नमक आदि रखें।
- चेतावनी व सूझाव के लिए रेडियो सुनें या टी.वी. देखें। स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान दें।
- अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं।
- बाढ़ के दौरान खाना ढक कर रखें। हल्का भोजन करें एवं उबला हुआ पानी पिएं।
- दस्त होने पर चाय, चावल का पानी, नारियल पानी आदि सेवन करें। ओ.आर.एस. व अन्य उपचार के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से संपर्क करें।
- बाढ़ पीड़ितों के राहत सामग्री बांटने में मदद करें।
- गर्म कपड़े, जरूरी दवाएं, कीमती वस्तुएं महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रख लें।
- नल के पानी को उबालकर तब तक पिएं जब तक कि संबंधित विभाग द्वारा हैलोजन की गोलियां पानी में डालने के लिए उपलब्ध न करा दी जाए।
- सांपों एवं अन्य जहरीले जन्तुओं से बचकर रहें।
- बच्चों को बाढ़ की पानी के पास खेलने से रोकें।

क्या न करें?

- अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।
- ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।



पुनर्नवा

संपादकीय



**विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए,
ऐसा न हो जो कि आफत बल जाए।**

संरक्षक मंडल

व्यास जी

भा.प्र.से. (से.नि.)

उपाध्यक्ष, बि.रा.आ.प्र.प्राधिकरण

डॉ. उदय कान्त मिश्र, भा. अभि. से. (से.नि.)

सदस्य, बि.रा.आ. प्र. प्राधिकरण

पी. एन. राय, भा. पु. से. (से.नि.)

सदस्य, बि.रा.आ. प्र. प्राधिकरण

यशस्यति मिश्र, बि.प्र.से.

सचिव, बि.रा.आ. प्र. प्राधिकरण

मुख्य संपादक: शशि भूषण तिवारी
उपाध्यक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी

दरीय संपादक: कुलभूषण कुमार गोपाल

संपादक मंडल

बी.के. मिश्रा,

दरीय सलाहकार तकनीकी

नीरज कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट

डॉ जीवन कुमार, परियोजना पदाधिकारी

डॉ पल्लव कुमार, परियोजना पदाधिकारी

अशोक कुमार शर्मा, परियोजना पदाधिकारी

प्रवीण कुमार, दरीय शोध पदाधिकारी

आईटी: सुश्री सुम्बुल अफरोज

मनोज कुमार

ई-मेल: sr.editor@bsdma.org

वेबसाइट: www.bsdma.org

सोशल मिडिया: www.facebook.com/bsdma


नोट: पुनर्नवा में प्रकाशित आलेख लेखकों के व्यक्तिगत एवं अध्ययन स्वरूप विचार हैं। लेखन द्वारा व्यक्त विचारों के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं है।

**आपदा नहीं हो भारी,
यदि पूरी हो तैयारी।**

वैश्विक महामारी कोविड-19 से लोगों को मुक्ति मिली भी नहीं की ब्लैक फंगस, बाढ़ और वज्रपात कि समस्या लोगों को दहशत में ला दिया। कई जिलों में लोगों को वैश्विक महामारी कोविड के साथ-साथ बाढ़, वज्रपात और ब्लैक फंगस की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या खासकर उत्तर बिहार के कई जिलों में हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लगातार लोगों को इन बहु आपदाओं से निपटने की तैयारी करने का सलाह जारी किया गया। यह सलाह इसलिए भी जरूरी है कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जनजागरूकता और पूर्व तैयारी ही खतरे और क्षति को कम कर सकती है। इसी के मद्देनजर पूर्णिया के कम्युनिटी वोलेंटियर को एसडीआरएफ परिसर, बिहटा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने क्षेत्रों में लोगों को इन आपदाओं के साथ-साथ अन्य आपदाओं से निपटने में मदद कर सकें। इस तरह के प्रशिक्षण से लगातार जारी रखना होगा। आपदाओं से निपटने की यह तैयारी आने वाले दिनों में आदत बन जाये, यह प्रयास होना चाहिए।

कई जिलों में बाढ़ के बावजूद जुलाई के आखिरी सप्ताह में कम वर्षापात की समस्या देखने को मिली है। यानी पूरा राज्य एक साथ बाढ़, वज्रपात, सुखाड़, कोविड समेत अन्य आपदाओं की चपेट में है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचने का कोई भी समाधान तात्कालिक नहीं हो सकता है। इसके लिए लंबी अवधि की तैयारी जरूरी है। बहरहाल, जो आपदा सामने हो, उससे हमें पहले निपटना होगा, ताकि आपदा से होने वाली जान-माल की क्षति को कम कर सकें। खासकर कोविड से निपटने के लिए जहां मास्क पहनने, दो गज की सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग और टीकाकरण के साथ साथ खानपान में सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी इम्युनिटी कोविड समेत अन्य रोगों से भी जूझने में मदद करे। वहीं यदि हम बाढ़ पूर्व तैयारी कर लिए हैं तो परेशानी कम होगी। हाल के दिनों में वज्रपात से मौतें और ठनका गिरने की घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ठनका से बचाव के लिए राज्य सरकार की दिशा निर्देश लगातार अखबारों और चैनलों पर जारी किए जा रहे हैं। इससे सीख लेकर हम अपना बचाव कर सकते हैं।

हम सब जानते है कि बिहार बहु आपदा प्रवण राज्य है। यहां आपदाओं से निपटने के लिए हमें तैयारी करनी होगी, अन्यथा हमें क्षति का सामना करना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्तोगन हमें याद रखना चाहिए कि "आपदा नहीं हो भारी, यदि पूरी हो तैयारी" इसी में है हमसब की है भलाई।


शशि भूषण तिवारी
(मुख्य संपादक)

अनुक्रम

क्र. सं.	विषय	लेखक	पेज सं.
1.	कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन कारगर हथियार	डा. वीणा सिंह	03-05
2.	जागरूकता से ही अगलगी पर नियंत्रण संभव	श्री पी.एन. राय	06
3.	थंडर स्टॉम और इसके रोचक तथ्य	श्री आनंद शंकर एवं आशीष कुमार	07-10
4.	बाढ़ की चेतावनी का प्रसारण (Communication of alert of flood)	श्री कृष्ण कुमार झा	11-13
5.	पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्जीवन की समग्र पहल: वर्तमान समय की आवश्यकता	डा. जीवन कुमार	14-15
6.	भूकंप: एक परिचय	डा. प्रवीण कुमार	16-17
7.	राष्ट्रीय खबर, सामुदायिक स्वयंसेवक (आपदा मित्र)	श्री नीरज कुमार सिंह	18-20
8.	आपदा की तस्वीरें कैसे लें	श्री शशांक कुमार	21-22
9.	प्राधिकरण की गतिविधिया (जरूरी से जून तक 2021)	डा. प्रवीण कुमार	23
10.	भूकंप सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन	डा. मधु बाला	23
11.	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम	डा. पल्लव कुमार	24
12.	अग्नि सुरक्षा पर आधारित कार्यशाला	डा. मधु बाला	24
13.	सड़क सुरक्षा सप्ताह	डा. जीवन कुमार	25-26
14.	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम	डा. जीवन कुमार	27
15.	सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम: मास्टर ट्रेनर्स का रिफ्रेशर प्रशिक्षण	डा. जीवन कुमार	28-29
16.	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम	श्री कुंदन कौशल	30-32
17.	“बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय व्यवसायिक “प्रशिक्षण”	डा. मधु बाला	33
18.	कोविड-19 प्रोटोकाल के अंतर्गत “जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा” जागरूकता कार्यक्रम	डा. जीवन कुमार	34
19.	रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका निर्धारण एवं समन्वय बनाने के लिए SOP प्रारूप	डा. जीवन कुमार	35
20.	ग्रामीण एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण	श्री कुलभूषण	36
21.	BSDMA: संसाधनों की जानकारी जरूरी	श्रीमती सुम्बुल अफरोज	36
22.	सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम: समुदाय स्तर पर बालक/बालिकाओं का प्रशिक्षण	डा. जीवन कुमार	37
23.	पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण	श्री अशोक कुमार शर्मा	38
24.	बाढ़ एवं कोविड से बचाव संबंधी उपायों एवं सावधानियों की जानकारी के लिए जन-जागरूकता अभियान	श्री अशोक कुमार शर्मा	39
25.	कोविड संक्रमण से बचाव एवं बाढ़ पूर्व तैयारी: सितामढ़ी जिलों के विभिन्न संस्थाओं का ऑनलाइन संवेदीकरण	श्री अशोक कुमार शर्मा	39
26.	स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का कोविड महामारी प्रबंधन के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	श्री अशोक कुमार शर्मा	40
27.	जीविका दीदियों का संवेदीकरण	श्री अशोक कुमार शर्मा	41
28.	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम	कुंदन कौशल	42
29.	कोविड संक्रमण, बाढ़, वज्रपात एवं सर्पदंश प्रबंधन के लिए सामुदायिक वॉलेंटियर का संवेदीकरण	श्री अशोक कुमार शर्मा	43
30.	आपदाओं से बचाव के लिए जीविका दीदियों का ऑनलाइन संवेदीकरण	श्री अशोक कुमार शर्मा	44
31.	Bihar State Disaster Resource Network की Review मीटिंग	सुम्बुल अफरोज	44
32.	मास मैसेजिंग	मनोज कुमार	45
33.	तस्वीरों में प्राधिकरण की गतिविधियां		47-48

कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन कारगर हथियार

कोरोना वायरस क्या है :

कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है, जिसके संक्रमण के कारण जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसम्बर 2019 में सबसे पहले चीन में पाया गया था और भारत में पहला केस 30 जनवरी को पाया गया।



डा. वीणा सिंह
एडिशनल
प्रोफेसर, एम्स पटना

कोरोना संक्रमण: कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को सुरसा के मुंह की तरह निगल लिया है। हम सभी जानते हैं कि इस महामारी से बचने के रास्ते बहुत कम हैं। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है "प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर" यानी इलाज से बचाव हमेशा बेहतर होता है। इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में यह बात बिल्कुल उपयुक्त है। हम सबने देखा कि जितने भी मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या में मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। उन्हें ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है या फिर आईसीयू में वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग इलाज के दौरान दम तोड़ रहे हैं। इन सारे बिन्दुओं को देखते हुए, हमें तमाम ऐसे उपाय करने चाहिए, जो इस रोग के संक्रमण से हमें बचा सकें। पूरे देश में 2020 में अप्रैल और मई जून का महीना कितना भयावह था, यह शायद ही कोई भूल पाया हो। ऐसी ही हालत देश में लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिहार राज्य में जुलाई से लेकर सितम्बर तक बिहार में थी।

कोरोना के लक्षण: कोरोना वायरस का संक्रमण होने पर बुखार होता है और उसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक सप्ताह के बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा यह मतलब नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या दिल की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू के वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं।

कोरोना से बचाव के उपाय: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित कोविड अनुकूल व्यवहार के दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें बताया गया है मास्क पहनना अनिवार्य है।

मास्क पहनने का तरीका इस प्रकार है:-

- मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए।
- अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए।
- मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी मुंह, नाक और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे।
- मास्क उतारते समय भी मास्क को इलास्टिक या फीते से पकड़कर निकालना चाहिए।
- मास्क को हर रोज बदलना चाहिए।

2. हाथों की सावधानी पूर्वक सफाई :

- अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं।
- खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें।
- हाथ साफ नहीं हो तो आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें।

3. सामाजिक दूरी बनाकर रखना है।

- सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन या टैक्सी से यात्रा करने से बचें।
- सार्वजनिक जगहों पर न जाएं।
- यदि आप दूसरे लोगों के साथ रह रहे हैं तो अधिक सतर्कता बरतें।
- यदि आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो दो सप्ताह तक अपने आपको अकेला रखें और घर पर रहें।

कोविड-19 वैक्सीन: कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो 16 जनवरी 2021 से भारत सरकार ने दो वैक्सीन को सहमति दी है—कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वारियर्स जैसे स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराई गई, ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा जिन्हें ज्यादा है, उन्हें बचाया जा सके। दूसरे चरण में 45-65 साल की उम्र के लोग जो किसी बीमारी से ग्रस्त थे, उन्हें भी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। उसके बाद 18 से 45 साल वालों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, ताकि बड़ी आबादी को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके।

चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार अब तक करोड़ों भारतवासियों का टीकाकरण करा चुकी है। एक बड़ी आबादी पहले ही वैक्सीन की अपनी दो खुराक ले चुके हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार एंटीबॉडी विकसित हो चुके हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर में भी अनुभव किया गया है कि जिन्हें टीका लग चुका था, उनमें बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं पाए गए। वे केवल हल्के लक्षणों से पीड़ित थे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस टीके को प्राप्त करने के लिए हर कोई पात्र है, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो। एकमात्र विरोधाभास एलर्जी की बीमारी या किसी खास दवा के प्रति एलर्जी को लेकर है। हाल ही में भारत सरकार ने नए दिशा निर्देशों भी जारी किए हैं जिसमें स्तनपान करने वाली माताएं भी कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जो प्रारंभिक टीकाकरण अभियान में नहीं था।

टीकाकरण से जुड़े मिथक: कोविड-19 संक्रमण के संकेतों और लक्षणों के भ्रम के कारण होते हैं। खासकर गांवों से ऐसी बातें सामने आई कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में गंभीर लक्षण विकसित हो गए। गहराई में जाकर जांच करने पर यह बात सामने आई कि इन सभी लोगों में वैक्सीन की खुराक प्राप्त करने से पहले ही कोविड-19 के लक्षण मौजूद थे। यह बात सामने आई कि जागरूकता की कमी के कारण लोग टीके को चिकित्सा उपचार मान बैठे। ऐसे में उन्होंने टीका तब लिया जब वे कोविड संक्रमण की चपेट में पहले ही आ चुके थे। उन्होंने टीकाकरण केंद्रों पर लक्षणों के बारे में जानकारी नहीं दी और पहली खुराक प्राप्त की। इसी बीच संक्रमण बढ़ने से उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई या उन्होंने दम तोड़ दिया। इस भ्रम की स्थिति ने अराजकता पैदा कर दी है। इन मिथकों को तोड़ने की जरूरत है। लोगों को जागरूक होना होगा।

बच्चों में कोविड-19 का टीकाकरण : फिलहाल 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण का ट्रायल अपने अंतिम चरण में है। भारत में कुल मिलाकर आईसीएमआर द्वारा सात केन्द्र चिह्नित किए गए हैं, जिनमें एम्स पटना भी एक है। परीक्षण में तीन आयु वर्गों को शामिल किया गया है। 12 से 18, 6 से 12 साल और 2 से 6 साल। सबसे पहले बड़े बच्चों पर टीके का ट्रायल हुआ, इस आयु वर्ग पर जब टीका सुरक्षित पाया गया तो इसके बाद उससे कम और फिर सबसे कम आयु वर्ग के बच्चों पर परीक्षण हुआ। परीक्षण पूरा होने का अनुमानित समय दो से तीन महीने बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। आशा है कि सुरक्षा और वैक्सीन का प्रभाव संबंधी डेटा का विश्लेषण किए जाने और सरकार द्वारा आपातकालीन लाइसेंस दिए जाने के बाद 1-2 महीने के भीतर सभी बच्चों के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा।

लोगों को सरकार, उनकी एजेंसियों, डॉक्टरों पर विश्वास करना चाहिए, जो कोविड-19 के संकेतों और लक्षणों की पहचान कर इसके प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह ऐसी समस्या है जिसका प्रबंधन व्यक्तिगत आधार पर नहीं किया जा सकता। केवल संयुक्त प्रयास ही इस महामारी को मात दे सकता है।



कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाव: आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को तीसरी लहर में जोखिम ज्यादा है। इसका सरल वैज्ञानिक आधार यह है कि यदि यह वायरस अपना स्वरूप बदलता है तो बच्चे ही एक ऐसे ग्रुप हैं जो टीका नहीं लगने या पहले से कोरोना संक्रमित नहीं होने के कारण असुरक्षित होंगे और म्यूटेटेड वायरस, उन पर आघात कर सकता है। खतरनाक भविष्यवाणी के पीछे के वैज्ञानिक कारण को समझने और ध्यान में रखने की जरूरत है। वयस्कों को सभी जरूरी सावधानियों का पालन करना चाहिए, तभी बच्चे भी उनका पालन कर सकें। बड़ों को भी अनिवार्य रूप से टीका लगाना चाहिए ताकि यदि उनके बच्चे संक्रमित हों और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है तो वे अपने बच्चे की देखभाल करने में सक्षम हो सकें। अन्यथा उन्हें अस्पताल में कोविड-19 संक्रमण होने का सबसे अधिक जोखिम उठाना पड़ सकता है। संक्रमण की चपेट में आने के बाद वे अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे और बच्चों को अकेला छोड़ना पड़ सकता है। कोरोना के डर को केवल आत्म विश्वास से दूर किया जा सकता है, जो उन्हें टीका दे सकता है।

**आइए हम सब मिलकर यह मेहनत करें
और इस आपदा को दूर भगाएं।**

जागरूकता से ही अगलगी पर नियंत्रण संभव



पी.एन.राय, मा.पु.से. (से.नि)
(सदस्य, बि.रा.आ.प्र.प्र.)

इस वर्ष जैसे ही तापमान में वृद्धि हुई और पछुआ हवा चलने लगी वर्ष 2016 की भांति आग की घटनाओं में वृद्धि हुई। इस वर्ष की घटनाओं की विशेषता है छोटे बच्चों का जल कर मरना। अन्य घटनाओं के अतिरिक्त, अगलगी की दो गंभीर घटनाएँ हुई हैं जिसमें 06 और 04 बच्चे जल कर मरे।

2. दिनांक 30 मार्च को अररिया जिला के पलासी थाना अंतर्गत कबैया गांव में आग लगने के कारण छः (06) छोटे बच्चे (उम्र 5-8 वर्ष) का जलने से मृत्यु हो गयी। प्रथम सूचना के अनुसार यह बच्चे झोपड़ी/पुआल के पास खेल रहे थे जहाँ इनके द्वारा 'होरहा' बनाने के क्रम में आग लग गयी। आग लगने पर ये लोग शरण लेने के लिए झोपड़ी में गये। झोपड़ी में पौलोथीन एवं अन्य प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ/सामग्री था, जिसमें आग लगने के कारण झुलस कर मर गये। आग की घटना की सूचना पर सर्वप्रथम थाना पर प्रतिनियुक्त मिक्स टेक्नोलॉजी अग्निशाम वाहन स्थल पर पहुंची, बाद में अररिया फायर स्टेशन का फायर टेंडर भी वहाँ पहुंचा। उल्लेखनीय है कि घटना स्थल की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के लिए सड़कों एवं अन्य परस्थितियों को देखते हुए अग्निशामन वाहन का स्थल पर पहुंचने में समय लगना स्वभाविक है। मिक्स टेक्नोलॉजी वाहन ने आग बुझाने का कार्य किया और जब उसका पानी खत्म हुआ तो 'हर घर नल का जल' योजना के अंतर्गत बनाये गये जल स्रोत से पानी प्राप्त किया।

पुनः दिनांक 28 अप्रैल, 2021 को ग्राम अलौद्दिनचक थाना, गौरीचक, जिला, पटना में झोपड़ी में रह रहे 04 बच्चे जल कर मर गये। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके अभिभावक गेहूँ काटने के लिए बाहर गए और उन्होंने झोपड़ी को बाहर से बन्द कर दिया, जिससे कि बच्चे घर से बाहर न निकले। इसके दो कारण बताये गये, पहला करोना से बचाव, दूसरा झोपड़ी के सामने रेलवे लाईन पर चलने वाली ट्रेनों से बचाना। घटना आग कैसे लगी इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है। प्रारंभिक समय में बच्चों के द्वारा खाना बनाने की बात कही गयी।


घटना के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त हो सकी है उसके आधार पर अग्नि सुरक्षा के लिये निम्न सीख मिल सकती है:-

- उपरोक्त घटनाओं के कारण की जानकारी अस्पष्ट है। इसलिए आग की घटनाओं के कारणों की जानकारी के लिए प्रयास करना चाहिए। आग बुझाने के दौरान सभी लोग परेशान रहते हैं। अतः सारी परिस्थितियों को समझने के लिए घटना के दिन के बाद जाकर अधिकारियों के द्वारा घटना की जानकारी लेना चाहिए जिससे की भविष्य के लिए सीख मिले। जैसे इस घटना से यह मालूम नहीं चल सका की आग कैसे लगी और आस-पास के लोग आग बुझाने एवं बचाने का प्रयास किया होगा? उनसे घटना के दिन पुछने पर जानकारी प्राप्त हो सकती है।
- घटनाओं से स्पष्ट है कि बच्चों को छोड़कर माता-पिता अपने काम पर जाते हैं। यह सभी को मालूम है कि मार्च-अप्रैल में फसल काटने के लिए लोग खेतों में जाते हैं। और उनके बच्चे घर पर होंगे। ऐसी परिस्थिति में देखभाल करने के लिए क्या प्रबंध हो सकता है? बच्चे किसी के देख-रेख में रहें, इस पर लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्या ऐसे समय में बच्चों को आई.सी.डी.एस केन्द्रों पर रखा जा सकता है? यह विचारणीय है।
- प्रमुख रूप से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले आग के शिकार होते हैं। ऐसी परिस्थिति में झुग्गी-झोपड़ी की ज्वलनशीलता को कम करने के लिए बड़े प्रयास करने की आवश्यकता है। लोगों को बताने की आवश्यकता है कि झोपड़ी सुरक्षित कैसे बनाई जाय।
- एक बार पुनः पानी के स्रोतों को चिह्नित कर उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। 'हर घर नल का जल' की योजना में बनाये जा रहे जल स्रोतों का जांच (verification) होना चाहिए जिससे कि अग्निशामन के गाड़ियों के लिए पानी समय से उपलब्ध हो पाये।

थंडर स्टॉर्म और इसके रोचक तथ्य



आनंद शंकर एवं आशीष कुमार
(वैज्ञानिक-सी, मौसम विज्ञान केंद्र, पटना)



थंडर स्टॉर्म

यह एक मूल रूप से एक तीव्र या अति तीव्र मौसमी घटना है, जो आसमानी बिजली के साथ-साथ गर्जन के रूप में आती है। गर्जन तेज गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई पड़ती है। आमतौर पर थंडर स्टॉर्म वर्षा, तेज हवा और कभी-कभी ओलापात अथवा तेज तूफान के रूप में आती है।

थंडर स्टॉर्म क्या है और ये क्यों होता है?

थंडर स्टॉर्म ऊंचे बादल मुख्यतः क्यूमुलोनिम्बस बादल में विकसित होता है। क्यूमुलोनिम्बस बादल 'थंडरहेड' के नाम से भी जाना जाता है। एक थंडर स्टॉर्म तब आती है, जब बादल बर्फ जितना ठंडी हो या बहुत ठंडे पानी जैसा ठंडा हो और विद्युत के रूप में आवेश को खुद से अलग करते हुए ऊपर की ओर पर्याप्त गति करे। बादल के अंदर गर्म और नम हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी होकर नमी का कारण बनती है जिसे जल वाष्प कहते हैं जो कि संघनन प्रक्रिया के द्वारा पानी की छोटी बूंदों में तब्दील हो जाती है।

ठंडी हवा ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तथा गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। ऊपर और नीचे हवा के इस सर्किट को संवहन सेल कहा जाता है। यदि यह थोड़ी मात्रा में होता है, तो बादल बन जाएगा। यदि यह बड़ी मात्रा में हवा और नमी के साथ होता है, तो थंडर स्टॉर्म बन सकती है।


थंडर स्टॉर्म के प्रकार थंडर स्टॉर्म में सिर्फ एक संवहन सेल या कई संवहन सेल, या बहुत बड़ी और शक्तिशाली संवहन सेल हो सकती है।

सिंगल-सेल थंडरस्टॉर्म


वातावरण में केवल एक संवहन सेल द्वारा निर्मित थंडर स्टॉर्म को सिंगल सेल थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। इनमें से अधिकांश छोटे होते हैं तथा करीब एक घंटे तक चलते हैं, इसे साधारण थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। यह अक्सर गर्मियों के दौरान बनते हैं और इसमें विशाल क्यूम्यूलोनिम्बस बादल होते हैं जो वातावरण में 08-14 किलोमीटर उपर हो सकते हैं। इस मौसम में बारिश और बिजली गिरना आम बात होती है, तथा कभी-कभी ओले गिर सकते हैं।

मल्टी-सेल थंडर स्टॉर्म

जब कई संवहन सेल एक इकाई के रूप में चलती है तो इन्हें मल्टी सेल थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। अक्सर संवहन सेल एक कलस्टर के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तथा प्रत्येक संवहन सेल थंडर स्टॉर्म के अलग चरण में होती है।



डॉपलर वेदर रडार द्वारा सिंगल सेल थंडरस्टॉर्म का लिया गया चित्र




डॉपलर वेदर रडार द्वारा मल्टी सेल थंडर स्टॉर्म का लिया गया चित्र

सुपरसेल थंडर स्टॉर्म

थंडर स्टॉर्म जो **deep rotating updraft risingwind** तथा उनमें तेजी से चलने वाले संवहन प्रक्रिया द्वारा विकसित होता है। उसे सुपर सेल थंडर स्टॉर्म कहते हैं। जिससे घंटों तक भारी मात्रा में बारिश और ओले गिर सकते हैं। सुपर सेल थंडर स्टॉर्म कभी कभी ही देखने को मिलता है।

रोचक तथ्य

- दुनिया भर में किसी भी एक समय में करीब दो हजार थंडर स्टॉर्म हमेशा बनते रहते हैं। तथा मौसम के ये तीव्र घटनाओं में गरज के साथ तूफान, तीव्र बारिश, ओले, तेज हवा, बिजली, और यहां तक कि बवंडर सामान्य बात होती है।
- पृथ्वी पर हर दिन (24 घंटे) में अठारह हजार थंडर स्टॉर्म कि घटना घटित होती हैं। आसमानी बिजली से मरने वालों लोगों की संख्या बवंडर से होने वाली मौतों से अधिक होते हैं।
- मॉनसून पूर्व तथा मॉनसून ऋतु में दोपहर और शाम के घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश होने की संभावना सबसे अधिक रहती है।
- एक थंडर स्टॉर्म के दौरान उत्पन्न ध्वनि या गड़गड़ाहट सुनने से पहले हम बिजली को देखते हैं, क्योंकि प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेजी से गति करता है।
- लगभग 70% आकाशीय बिजली बादल के भीतर ही होती है, लेकिन शेष 30% गरज के साथ भूमि के ऊपर और पेड़, इमारत या उसके नीचे खुले मैदान के बीच गिरती है जो जीवन और संपत्ति को प्रभावित करती है।
- आपकी त्वचा पर या आपके बालों के छोर पर झुनझुनी आपको बता सकती है कि बिजली गिरने वाली है।
- आमतौर पर एक थंडर स्टॉर्म लगभग तीस मिनट तक रहता है और इसका व्यास 15 मील तक हो सकता है।
- हर थंडर स्टॉर्म में आकाशीय बिजली होती है।
- प्रसिद्ध धारणा के विपरीत, बिजली गिरने के दौरान एक पेड़ के नीचे खड़े रहना शरण लेने के लिए सबसे खतरनाक जगह है।



डॉपलर वेदर रडार द्वारा सुपर सेल थंडर स्टॉर्म का लिया गया चित्र

- वज्रपात से ज्यादातर मौतें थंडर स्टॉर्म के दौरान खुले खेत में काम करते रहने या पेड़ों के नीचे रहने से होती है
- यह माना जाता है कि आकाशीय बिजली ने जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी।
- हर साल लगभग एक अरब डॉलर की क्षति आकाशीय बिजली के कारण होती है।
- आकाशीय बिजली सूरज की सतह से लगभग पांच गुना गर्म होती है।
- थंडर स्टॉर्म के साथ आकाशीय बिजली का तापमान 50,000 °C होता है।
- 1888 में भारत के मुरादाबाद और बरेली जिलों में हुई ओला वृष्टि सबसे घातक थी जिसमें 246 लोग मारे गए थे।
- 9 वीं शताब्दी में उत्तराखंड में सबसे पहले दर्ज ओला वृष्टि हुई थी। कई तीर्थयात्री इसमें मारे गए।
- पृथ्वी के अलावा, बृहस्पति और शुक्र में भी थंडरस्टॉर्म आते हैं।

**मास्क को अपनी ढाल बनाओ,
कोरोना को हर दिन हराओ।**

बाढ़ की चेतावनी का प्रसारण (Communication of alert of flood)



कृष्ण कुमार झा,
द्वितीय कमान अधिकारी
एस.डी.आर.एफ.

वर्ष 2012 के सावन का महिना था। उस समय मैं एनडीआरएफ में बिहटा पटना में कार्यरत था। रात 11 बजे मुझे आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के तरफ से खबर मिली की बेनीपट्टी अंचल (जिला मधुबनी) के पास एक सहायक बरसाती नदी है "घोसी" उसमें नेपाल के डैम का पानी बढ़ रहा है। बेनीपट्टी के पास इस नदी का बांध टूट चुका है। संभवतः सुबह होते होते बाढ़ विकराल रूप ले लेगा। आगे आदेश मिला की आप लोग एनडीआरएफ के टीमों को जो पहले से खगड़िया व मुंगेर जिलों में तैनात हैं, उसे लेकर बेनीपट्टी में बचाव कार्य किया जाये। जब मैं एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों के साथ गांव की तरफ रबर बोट से निकला तो पाया की नदी के नजदीक गाँव में 5-6 फीट पानी भर चुका है। कई जगह खेतों/बगीचों में 10-12 फीट से अधिक पानी था। लोग गांव-घर खाली कर ऊंची सड़क/विद्यालय में शरण ले चुके हैं। नुकसान तो बहुत देखा, परंतु मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। गांव वालों से मालूम करने पर ज्ञात हुआ की सारी रात एसडीओ साहब ने नेपाल के सीमा में जलस्तर की सूचना ले कर मुखिया सरपंचों को खतरे से आगाह करते रहे। इससे सभी ग्रामीण सही समय पर गांव खाली कर सुरक्षित जगह पर चले गए।

यह था बेनीपट्टी के तत्कालीन एसडीओ राशिद कलीम का बाढ़ के जलस्तर का सीमावर्ती इलाकों और नेपाल स्थित अधिकारियों से जानकारी लेकर ग्रामीणों के बीच चेतावनी को प्रचारित करने का तरीका का सफल प्रयोग। बाढ़ समान्यतया अत्याधिक वर्षापात के उपरांत नदी नाला के द्वारा धीमी गति से पानी के निकलने के कारण जल जमाव की स्थिति से उत्पन्न होती है।



अधिक वर्षा होने से नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशीत वृद्धि होने के कारण कई बार बांध टूट जाता है या बांध के ऊपर से बह कर घरों में पानी आ जाता है। बाढ़ के आने के समय गाँव शहर में मूसलाधार बारिश हो रही होती है। अधिकतर नागरिक घरों में होते हैं। अतः कई लोग घर में आ रही बाढ़ या शहर के जलजमाव के समस्या से अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए बाढ़ के आने की संभावना की ससमय सटीक ढंग से चेतावनी/अलर्ट को प्रचारित करने का कार्य अहम है, ताकि नागरिक आवश्यक समग्रियों का संग्रह कर लें। सुरक्षित स्थानों का चुनाव कर ले या सुरक्षित जगहों पर चले जायें। मवेशियों के लिए शरण स्थल ढूँढ़ लें। परिवार के स्तर का आपदा प्रबंधन किट तैयार कर लें।

बाढ़ के चेतावनी को प्रचारित-प्रसारित करने के कई तरीके हैं:

क्र०सं०	अलार्म प्रचारित-प्रसारित करने के तरीके	विशेषता	कमियाँ
1	सायरन/अलार्म	तुरंत प्रभावी, विश्वसनीय, दूर तक पहुंच	इस माध्यम से कम सूचनाओं का प्रेषण
2	माइक-लाउडस्पीकर	तुरंत प्रभावी, विश्वसनीय, दूर तक पहुंच	अधिक सूचना का संप्रेषण
3	नेटवर्क प्रदाता से टेक्स्ट मैसेज (SMS)	अधिक लोगों के बीच जल्द पहुंच बिजली की आवश्यकता नहीं।	जहां मोबाइल नेटवर्क खराब हो गया हो, वहाँ उपयोगी नहीं
4	रेडियो/एफ.एम.रेडियो/टीवी के द्वारा संदेश	विडियो और प्रेस वार्ता अधिक प्रभावी	टीवी के लिए बिजली की जरूरत मोबाइल/यात्रा कर रहीं आबादी में पहुंच नहीं
5	सोशल मीडिया/ई-मेल	तुरंत संप्रेषण, ज्यादा पहुंच, आवाज/विडियो और फोटो के साथ अत्यधिक प्रभावी माध्यम	नेटवर्क खराब होने पर पहुंच नहीं।
6	प्रिंट मीडिया	अधिक पहुंच, विस्तृत सामग्री/कटौट	समय अधिक लगना
7	मोबाइल फोन में रिकॉर्ड वॉइस कॉल	तुरंत संप्रेषण, ज्यादा पहुंच अधिक प्रभावी	नेटवर्क कंपनी के द्वारा जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी के आवाज में शराबबंदी का संदेश प्रत्येक मोबाइल पर रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो कॉल के रूप में प्रचारित होता है।
8	मोबाइल फोन में कॉलर ट्यून में संदेश	तुरंत संप्रेषण, ज्यादा पहुंच अधिक प्रभावी	जिस तरह कोविड संक्रमण के समय प्रत्येक मोबाइल फोन नेटवर्क के द्वारा कॉल करते समय संदेश सुनाया जाता था।

ऊपर के तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है की एक साथ कई तरीकों का समावेश कर बाढ़ पूर्व चेतावनी को सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास ज्यादा प्रभावशाली होगा।

समय की कमी, मोबाइल नेटवर्क खराब होना तथा बिजली की उपलब्धता आदि कारकों को ध्यान में रखते हुये प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे की चेतावनी आम जन के अलग हो तथा सरकारी वरीय अधिकारियों, बाढ़ में रेस्पॉस करने वाले लाइन डिपार्टमेंट तथा फील्ड अधिकारियों के लिए अलग प्रारूप में हों।

बाढ़ की चेतावनी को कई बार प्रचारित व प्रसारित करना होगा। बाढ़ के कारण जल जमाव का स्तर, स्वरूप, कारण, निदान एवं सरकार के किए जा रहे उपायों का जिक्र अवश्य होना चाहिए। आमजनों के लिए परेशानी से बचने के लिए क्या करें क्या न करें का भी प्रचार होना चाहिए। जहां मोबाइल नेटवर्क और बिजली बंद हो गया हो ऐसे जगहों के लिए वैकल्पिक तरीकों से चेतावनी का प्रसारण करना चाहिए। चेतावनी के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के मदद के लिए तथा उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी प्रचारित करना चाहिए।



आपदा नहीं हो भारी
यदि पूरी हो तैयारी

पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्जीवन के लिए समग्र पहल की आवश्यकता



डॉ. जीवन कुमार,
परियोजना पदाधिकारी

पारिस्थितिक विज्ञानी लिण्डमेन (1942) के अनुसार "किसी भी आकार के किसी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) कहलाती है। वर्ष 1953 में महान वैज्ञानिक ओडम के अनुसार "पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक एवं अजैविक पर्यावरण एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, साथ ही पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा के प्रवाह और रासायनिक पदार्थों के संचार से पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता को बनाये रखते हैं। जैविक विविधता पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ाती है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में स्थलीय वन, घास के मैदान, रेगिस्तान और जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब, नदियां, झीलें और समुद्र आदि शामिल हैं। मानवीय हस्तक्षेप द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों में कृषि भूमि एवं शहरी विकास हेतु भूमि हेतु भूमि उपयोग पद्धति शामिल हैं। मानवीय हस्तक्षेप के कारण देश एवं विश्व के स्तर पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की कार्यात्मक गतिशीलता में कमी होने के साथ ही जैव विविधता कि काफी क्षति हुई है।



पारिस्थितिक तंत्र क्षरण के उदाहरण प्रदूषित नदियां, निर्वनीकरण हुई भूमि, अत्यधिक दोहन वाले वन और गैर उपजाऊ कृषि भूमि हैं। पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण प्राकृतिक या मानव जनित हो सकता है, परंतु पारिस्थितिक तंत्रों का क्षरण मुख्य रूप से मानव जनित विकास संबंधी गतिविधियों के दौरान होता है। मानवीय गतिविधियों के कारण पारिस्थितिक तंत्र का सामंजस्य बारम्बार बाधित होता रहा है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने से पारिस्थितिक तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित होता है, ऐसी प्रजातियों को "कि स्टोन प्रजातियां" कहते हैं। इन प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए भूमि उपयोग पद्धति, लकड़ी के लिए वनों का दोहन, अधिक कृषि भूमि सृजित करने हेतु झीलों को सूखा करना, चरागाहों के रूप में उपयोग किए जाने वाले घास के मैदानों को सिंचित खेतों के रूप में उपयोग करना आदि प्रमुख कारण हैं।

उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण भी बहुत सी जीव प्रजातियां विलुप्त हुई हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का प्रमुख कारण हमारी बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपभोग करना है।

भारत में लगभग 96 करोड़ हेक्टेयर की परती (अनुपयोगी) भूमि, जैव विविधता की कमी और अत्यधिक जलवायु संबंधी घटनाएं प्रमुख पारिस्थितिक चुनौतियां हैं। लाखों श्रमिक जो शहरों से अपने गांवों में चले गए उनको आजीविका के अवसर प्रदान करना और कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट से उबरना देश के लिए सबसे बड़ी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां हैं। कोरोना महामारी के आने से भी पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा असर पड़ा है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पूरे देश में जहां सामान्य समय में 615 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट में निकलता था, वहीं जून 2020 एवं मई 2021 के बीच 45308 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, यह सामान्य समय से 17 गुना अधिक है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों लंबे समय तक पड़ने की संभावना है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पूरे देश में जहां सामान्य समय में 615 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट में निकलता था, वहीं जून 2020 एवं मई 2021 के बीच 45308 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, यह सामान्य समय से 17 गुना अधिक है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों लंबे समय तक पड़ने की संभावना है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम 'Ecosystem Restoration' है यानि पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्जीवन करके पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों एवं उनके चारों ओर के भौतिक पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण स्थिति को स्थापित करना है।

संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जीवन (Ecosystem Restoration) के दशक के रूप में घोषित किया है। जिसका उद्देश्य है कि दशक के दौरान एक ऐसे विश्व का निर्माण करना, जहां वर्तमान तथा भविष्य में पृथ्वी के सभी जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण हेतु मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों के बीच तालमेल बनाना तथा स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्रों के क्षेत्र में वृद्धि करना, साथ ही पर्यावरण की गुणवत्ता में आ रही गिरावट में कमी लाना है। स्थानीय स्तर पर पारिस्थितिक और साथ ही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्जीवन से न सिर्फ जैव विविधता का संरक्षण होगा, बल्कि इसके द्वारा खाद्य पदार्थों के साथ साथ जीविकोपार्जन की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी और जल संरक्षण के प्रयास भी सफल होंगे। इस पहल से टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पारिस्थितिक तंत्र को कई तरह से पुनर्जीवित किया जा सकता है। पौधे लगाकर, नदियों को प्रदूषित होने से बचाकर, कटाव नियंत्रण करके, गैर देसी प्रजातियों और खरपतवारों को हटाकर, देसी प्रजातियों का पुनरुत्पादन कर वनों की कटाई को रोककर, भूमिगत जल का नियंत्रित उपयोग कर, संकटग्रस्त जीव प्रजातियों के लिए आवास व आवश्यक संरक्षण के उपायों आदि को अपनाकर हम पारिस्थितिक तंत्रों को अपनी पूर्ववत स्थिति में पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।


यद्यपि भारत ने अपनी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत 683 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है, जिसमें 102 राष्ट्रीय उद्यान, 520 वन्यजीव अभयारण्य, 57 संरक्षण रिजर्व, 4 सामुदायिक रिजर्व आदि स्थापित किए गए हैं। संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 18 जैवमण्डल रिजर्व नामित किए गए हैं।

हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर चलाये जा रहे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों जैसे-राष्ट्रीय पुनर्वनीकरण कार्यक्रम एवं हरित भारत राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम आदि के सुदृढ़ क्रियान्वयन से वन क्षेत्र तो बढ़ेगा ही साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने से मदद मिलेगी। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्ययोजना का भी लक्ष्य पारिस्थितिक तंत्रों में हो रहे क्षति की दर में कमी लाना।

पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्जीवन की पहल को ग्रामीण जीविकोपार्जन से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन से जोड़ा जाना अत्यन्त आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का सीधा संबंध ग्रामीण जीविकोपार्जन से जुड़ा है। वर्तमान आवश्यकता यह है कि इन कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन हो, जिसके फलस्वरूप फसलों की पैदावार बढ़ेगी और मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी सुधार होगा। कार्बन सिंक (अवशोषण) में बढ़ोतरी होगी और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे न केवल जैवविविधता में होने वाले नुकसान में कमी आएगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

बिहार सरकार द्वारा इस दिशा में जल-जीवन-हरियाली अभियान का क्रियान्वयन किया गया है। जिसका उद्देश्य जल निकायों के संरक्षण और कायाकल्प और जल स्रोतों कप प्रदूषण मुक्त रखना, भू-जल के स्तर को बनाए रखना, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करना, जलवायु अनुकूल कृषि, ऊर्जा संरक्षण आदि है। जनता के बीच जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के प्रयासों के बारे जागरूकता को बढ़ावा देना भी इस अभियान का उद्देश्य है।

पारिस्थितिक पुनर्जीवन की पहल हेतु समाज के सभी वर्गों की समग्र रूप में भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। COVID-19 के बाद प्रकृति के साथ टूटे रिश्ते को सुधारने के लिए जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्जीवन तथा जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों के शमन एवं रोकथाम हेतु मानव समुदाय को समग्र रूप से समन्वित पहल करने की आवश्यकता है।




भूकंप: एक परिचय



प्रवीण कुमार
वरीय शोध पदाधिकारी
pravinkumar@bsdma.org

भूकम्प का विषय उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी पृथ्वी। हम इसके प्राचीन उल्लेखों के प्रमाणिकता से अनभिज्ञ हैं। मानव जाति भूकम्पों से आदिकाल से ग्रस्त एवं त्रस्त होती रही है। पिछले कई सदियों से भूकम्प के संदर्भ में जनसाधारण को इनकी जानकारी के लिए की जिज्ञासा भी तीव्र होती जा रही है और हमारे मस्तिष्क में इस बारे में अनेक प्रश्न उठते रहे हैं। जैसे कि भूकम्प है क्या? भूकम्प कैसे आता है?, भूकम्प के क्या प्रभाव होते हैं? भूकम्प से कैसे बचा जा सकता है? जिन देशों में भूकम्प का भयंकर प्रकोप होता रहा है, इसके संबंध में कुछ न कुछ दंत कथाएं प्रचलित हैं जैसे कि हमारे देश में यह लोकधारणा है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर स्थित है तथा उसी के हिलने से भूकम्प आते हैं। ईसा से 1800 वर्ष बाद तक भूकम्पों के प्रभावों पर आधारित बहुत सी जानकारी उपलब्ध है, परन्तु इनमें से कई तथ्यों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व नहीं है। (Source: Dr. H.N. Srivastav, 1989)


वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूकम्पीय यंत्रों का आविस्कार उन्नीसवीं शताब्दी में संभव हुआ जब चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में भूकंप के परिमाण (Magnitude) को मापने का स्केल (M1 से M10 तक) तैयार किया। यह परिमाण स्केल logarithmic होती है। इसके अनुसार, परिमाण में एक की बढ़ोतरी से उत्सर्जित उर्जा 31 गुना तथा wave amplitude में 10 गुणा बढ़ोतरी हो जाती है। M8 या उससे अधिक के परिमाण वाले भूकम्प अत्यंत विनाशकारी होते हैं तथा ऐसे भूकम्प को "द ग्रेट अर्थक्वेक" की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य तौर पर M3 से कम के परिमाण को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। परिमाण स्केल को रिक्टर स्केल के नाम से समझा जाता है। रिक्टर स्केल से पहले के भूकम्पों का विवरण उनके प्रभावों पर ही आधारित होता था। उदाहरण के लिए मकान, पुल आदि कितने और किस प्रकार नष्ट हुए। नदियों, तालाबों आदि पर कैसा प्रभाव पड़ा? अदि। जैसे कि 1934 के बिहार-नेपाल भूकम्प के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए ही इसका परिमाण लगभग 8-4 माना गया। पिछले अंक में इस भूकम्प के प्रभाव को बताया गया है। यह अनुमान है कि बिहार के 1934 के भूकम्प M8.4 द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, हिरोशिमा पर गिराये बम से 4000 गुणा अधिक था। रिक्टर स्केल पर 21 अगस्त 1988 के बिहार-नेपाल पर भूकम्प का परिमाण M6.6 मापा गया। इस भूकम्प के समय उत्तरी बिहार के इलाके बाढ़ग्रस्त थे। आम भाषा में हम पृथ्वी की सतह के कंपन को भूकंप कहते हैं। यह कंपन पृथ्वी के स्थलमंडल (लियोस्फीयर) में उर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होने वाली भूकम्पीय तरंगों की वजह से होती है। धरती के अंदर की अपेक्षा सतह पर ज्यादा कंपन होता है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण इसकी आंतरिक संरचना के बारे में विशेषज्ञों में मतभेद है, परन्तु इस संबंध में प्रत्यक्ष स्रोतों (धरातलीय या खनन से प्राप्त चट्टान और जवालामुखी आदि) तथा अप्रत्यक्ष स्रोतों (गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी जानकारी) के आधार पर विशेषज्ञों ने पृथ्वी को क्रस्ट, मॅटल एवं कोर, तीन भागों में विभाजित किया है।




- क्रस्ट, पृथ्वी के सतह का बाहरी परत है जिसकी मोटाई 35 से 40 किमी० हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्रस्ट की मोटाई और अधिक हो सकती है।

- मैटल, पृथ्वी के अंदर करीब 2890 किमी. तक स्थित होता है। इसे मुख्यतः दो भागों में, ऊपरी मैटल परत 670 किमी० जबकि निचली परत 670 किमी० से 2890 किमी०
- कोर, दो भागों, आंतरिक कोर तथा बाह्य कोर में विभाजित है। आंतरिक कोर ठोस होता है तथा 1216 किमी० की त्रिज्या में फैली हुई है। कोर परत में रेडियो एक्टिव तत्वों का क्षय होता है।


मैटल परत में कंवेक्शन करंट के कारण, क्रस्ट एवं मैटल परत का कुछ भाग जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं, धीमी गति से सरकते रहते हैं। इस सरकते हुए भाग को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। धरती की सतह लगभग 70-100 किमी० मोटे सात विशाल टेक्टोनिक प्लेट (अंटार्कटिक पैसेफिक, इण्डो-आस्ट्रेलियन, यूरोशियन, अफ्रिकन, नार्थ अमेरिकन, एवं साउथ अमेरिकन) एवं कुछ छोटे प्लेटों से बने हैं। ये प्लेटें विभिन्न दिशाओं में विभिन्न गति में चलायमान हैं। ज्यादातर भूकम्प टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर होते हैं।



जब ये दो प्लेटें एक-दूसरे को ढकेलती हैं, तो पहाड़ बनता है। एक दूसरे से दूर जाती है, तो दरार बनता है, तथा एक-दूसरे के बगल से चलती है तो सतह परिवर्तित हो जाती है।



इलास्टिक रिवाउण्ड थ्योरी (Elastic Rebound Theory) इस बात को दर्शाता है कि हम हमेशा दो भूकम्पों के बीच रहते हैं। अतः भूकम्प से बचाव के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भूकम्प के प्रति सतत जन जागरूकता के साथ साथ संरचनाओं का भूकम्परोधी निर्माण किया जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि "भूकम्प से जान-माल नहीं, अपितु कमजोर संरचनाओं के गिरने से क्षति होती है।"



राष्ट्रीय स्वबर

सामुदायिक स्वयंसेवक (आपदा मित्र)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से संचालित सामुदायिक स्वयंसेवकों (आपदा मित्र) का प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2016 में 25 राज्यों के चयनित 30 जिलों में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के 2 जिलों सुपौल एवं सीतामढ़ी के कुल 400 सामुदायिक स्वयंसेवकों (आपदा मित्र) को प्रशिक्षित किया गया। इसमें 50 आपदा सखियों को भी तैयार किया गया इसके साथ ही साथ पूरे देश में 5500 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया गया। यह कार्यक्रम अब पूरे देश के कुल 350 जिलों में कुल एक लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें बिहार राज्य के कुल 24 जिलों को चिह्नित किया गया है जिसमें 9500 सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समक्षौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं।



नीरज कुमार सिंह
सीनियर कंसल्टेंट,
(एन.डी.एम.ए.)

पूर्व में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयंसेवकों ने वैश्विक महामारी कोविड-19 वज्रपात एवं बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट कार्य एवं सहयोग दिया यह इस प्रकार हैं—

- प्रभावित समुदाय के लिये राशन बांटा और जलस्तर की निगरानी।
- महिला मुखिया परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, राशन, दवाओं की होम डिलीवरी।
- सार्वजनिक स्थानों पर और घर-घर जाकर आई. ई. सी. सामग्री द्वारा सूचना और जागरूकता प्रसार।
- दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों, बेघरों जैसे जरूरतमंदों के बीच भोजन की तैयारी और वितरण।
- वज्रपात के चेतावनी संदेश को प्रसारित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना एवं स्थानीय संसाधनों से तड़ित चालक का निर्माण।
- स्वयंसेवकों ने सुनिश्चित किया कि लोग मास्क पहनें और समुदाय और प्रवासी मजदूरों के बीच आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया।

अब तक 23 राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम से (आंध्र प्रदेश -102, अरुणाचल प्रदेश -91, असम -400, बिहार -400, गुजरात -200, हरियाणा -100, हिमाचल प्रदेश -200, जम्मू और कश्मीर -200, कर्नाटक -200, केरल -200, मध्य प्रदेश -150, महाराष्ट्र -200, मणिपुर -200, मेघालय -200, मिजोरम -200, नागालैंड -200, ओडिशा -200, सिक्किम -172, तमिलनाडु -200, त्रिपुरा -200, उत्तर प्रदेश -200, उत्तराखंड -200 और पश्चिम बंगाल -400) आपदा मित्रों को तैयार किया गया है।





लक्ष्य:

समुदाय के स्वयंसेवकों को आपदा का जवाब देने के लिए व अपने समुदाय की तत्काल जरूरतों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु तैयार किया जाना जिससे वे आपदा जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान बुनियादी राहत और बचाव कार्य करने में सक्षम हों।

योजना के उद्देश्य:

- राष्ट्रीय राज्य स्तर पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास और मानकीकरण।
- राज्यों से जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर सूचना ज्ञान प्रबंधन प्रणाली का विकास।
- संबंधित राज्यों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर पैनलबद्ध किए जाने हेतु बेहतर प्रशिक्षण संस्थान।
- आपदा प्रतिक्रिया (राहत और बचाव), समन्वय, सहायता के जीवन रक्षक कौशल में सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान करना।
- जिला ब्लॉक स्तर पर एक सामुदायिक आपातकालीन किट रिजर्व में रखना जिसमें आवश्यक प्रकाश उपकरण, खोज और बचाव उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट आदि शामिल हों।

आपदा मित्र' परियोजना में शामिल लोगों को मिलेगा बीमा कवर

परियोजना में शामिल आपदा मित्रों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में राज्यों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। सरकार का दृष्टिकोण है कि किसी भी आपदा के दौरान जान-माल का कोई नुकसान नहीं हो और क्षति को कम से कम किया जा सके।

बहु आपदा जोखिम एव न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षण

बिहार बहु आपदा प्रवण राज्य है। फलतः हमारे गाँव, पंचायतों, प्रखण्ड एवं जिलों में विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। आपदाओं से हमारे समुदाय को ही सबसे पहले निबटना पड़ता है ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि समुदाय के रूप में हम अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले में आने वाली आपदाओं की जानकारी हासिल करें तथा आपदाओं के जोखिम को कम करने तथा उनके प्रबंधन हेतु स्वयं को तैयार करें।

ऐसा करने से हम न केवल कुछ आपदाओं को घटित होने से रोक सकते हैं अपितु आपदाओं के कुप्रभावों को कम करने के लिए समुचित तैयारी भी कर सकते हैं। अगर हर पंचायत में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये बहु आपदा के प्रत्युत्तर संबंधी प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकसित किया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है—

- बाढ़ से बचाव पूर्व, दौरान व बाढ़ के बाद
- आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य की संवेदनशीलता
- घरेलू संसाधन से राफ्ट तैयार करना
- जीवन रक्षा तकनीक
- गांठों के सही प्रयोग एवं रस्सी का उचित उपयोग
- नदी/तालाब में डूबने से बचाव की तकनीक
- डूबने से बचाने की विधियां
- दुर्घटना में घायल को सुरक्षित विधियों से ले जाने की विधि
- विभिन्न दुर्घटनाओं में अस्पताल पूर्व चिकित्सा
- सीपीआर प्रक्रिया
- बिहार : भूकंप की प्रवणता
- भूकंप के छद्म अभ्यास (मॉकड्रील) के स्टेज
- अगलगी के प्रकार, आग बुझाने के दल और तरीके
- ठनका, लू, शीतलहर के समय बचने का सबसे सुरक्षित तरीका
- सुरक्षित नौका परिचालन एवं जल स्वच्छता
- जल-जीवन-हरियाली
- बाल विवाह दहेज़ उन्मूलन एवं नशा मुक्ति
- महिला एवं बाल स्वास्थ्य सुरक्षा
- मनोसमाजिक समस्याएं
- सर्प दंश प्रबंधन
- सड़क दुर्घटना को कम करने के उपाय



रिपोर्ट: नीरज कुमार सिंह

**बच्चा, बुढ़ा और जवान,
मास्क पहने सांझ-विहान।**

आपदाओं की तस्वीरें कैसे लें



शशांक कुमार
(फॉरेंसिक फोटो विशेषज्ञ)

फोटोग्राफी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल मोबाइल फोन के जरिए लोग तमाम इवेंट की फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन फोटोग्राफी करने के कई ऐसे तकनीकी पहलू हैं जो कि आपके द्वारा लिए गए फोटो या वीडियो को विशेष बनाते हैं जिनका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है खासकर आपदा के समय।

दरअसल फोटोग्राफ दो शब्दों फोटो और ग्राफ से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्रमशः प्रकाश(Light) और छवि (Graph) है। फोटोग्राफी करते समय प्रकाश का सही इस्तेमाल करने की जानकारी और कला ही एक विशेषज्ञ फोटोग्राफर होने का पहला शर्त है। आजकल फोटोग्राफी करने के लिए आमतौर पर लोग या फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफर डिजिटल कैमरे का ही प्रयोग करते हैं।

फोटोग्राफी कई तरह की होती है जैसे आपदा फोटोग्राफी, युद्ध फोटोग्राफी, वन्यजीव फोटोग्राफी, नेचुरल फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी आदि-आदि। आज हम आपदा फोटोग्राफी की बात करते हैं। आपदा कब आ जाए कोई नहीं जानता। इसके लिए कोई तैयार भी नहीं रहता है। फोटोग्राफर भी नहीं। इसलिए जब आप आपदाओं की तस्वीरें देखते हैं – विशेष रूप से भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तो आपको लगता होगा कि ये फोटो या वीडियो कैसे कैप्चर किए गए हैं। इन फोटोग्राफ में सही क्षण में भावनाओं को कैसे कैप्चर किया गया होगा। आपदा जैसे समय में फोटो की टाइमिंग और स्पष्टता काफी महत्वपूर्ण होती है। आपदाओं की तस्वीरें लेना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तस्वीरें बहुत काम आती हैं। इन तस्वीरों या फिर वीडियो क्लिप की सहायता से आपदा पीड़ितों और बचे लोगों के लिए सहायता और राहत पहुंचाने में सहायता मिलती है।

समाचार पत्र और अन्य मुद्रित प्रकाशन लोगों को आपदा और तबाही की गहराई के बारे में दिखाने के लिए आपदा तस्वीरों का उपयोग करते हैं। हालांकि ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है जो आपको आपदा फोटोग्राफी की तैयारी करना सिखाए, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव और प्रोटोकाल हैं जिनका पालन करके आप किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने में मदद कर सकते हैं।

आपदा में फोटोग्राफी का महत्व:

आज के दौर में आपदा के जोखिम को कम करने और आपदा के कारण हुए नुकसान का सही आकलन करने में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आजकल परम्परागत फोटोग्राफी के अलावा ड्रोन फोटोग्राफी और सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों के माध्यम से आपदा की गम्भीरता की जानकारी मिल पाती है। इस जानकारी के आधार पर सरकार और बचाव दल सही समय पर ऑपरेशन चलाकर आपदा पीड़ितों की ज्यादा मदद कर पाते हैं। फोटोग्राफी के माध्यम से आपदा की भयावहता और उससे हुए नुकसान का सही आकलन हो पाता है और साथ में आपदा में मरने वाले और घायल व्यक्तियों की पहचान भी स्थापित की जाती है।

फोटोग्राफ या फिर वीडियो के माध्यम में आपदा प्रबन्धन की आगामी योजना बनाने में काफी मदद मिलती हैं। इसलिए आपदा के दौरान फोटोग्राफी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फोटो या वीडियो स्पष्ट हों और आपदा की भयावहता को क्रमवार प्रदर्शित कर सकें।

आपको किस उपकरण की आवश्यकता होगी: आपका कैमरा, निश्चित रूप से, आपका प्राथमिक उपकरण है ठीक इसी वजह से आपको अतिरिक्त सामान लाने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से वे जो आपके कैमरे को पानी, धूल, नमी या आग से भी सुरक्षित रखेंगे।

आपदाओं के विभिन्न रूपों के बारे में आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे पढ़ें। बेशक, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या होने वाला है? लेकिन कम से कम आपको इस बात की अंदाजा होनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।

आपको कई सुरक्षा उपायों और आपदा दिशा निर्देशों को भी पढ़ना चाहिए।

आपदा की सटीक और स्पष्ट फोटोग्राफी करने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपदा की स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए ?

तस्वीरें लेना: आपदाओं की तस्वीरें लेते समय सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी चाहिए वह है संवेदनशीलता। आपको इस बारे में संवेदनशील होना होगा कि एक तस्वीर किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकती है। इसलिए केवल ऐसे दृश्य या चित्र चुनें जो नैतिक हों। ऐसी तस्वीरें लेने से बचें जो बहुत अधिक ग्राफिक रूप से परेशान करने वाली या मनोबल गिराने वाली हों।

ईमानदारी से फोटो लेना भी जरूरी है। किसी सीन में हेरफेर, स्टेज या कोरियोग्राफ न करें। फोटो को ऐसे ही लें। यह भावनाओं और संदेश को लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है। अपनी तस्वीरों के तकनीकी पहलुओं के बारे में ज्यादा न सोचें। बस तस्वीरें लें।

यदि आप किसी ऐसी संपत्ति की तस्वीर ले रहे हैं जो एक आंधी या बवंडर से क्षतिग्रस्त हो गई है तो आप विभिन्न सुविधाजनक बिंदुओं से विभिन्न दृश्यों को कैप्चर करें। 'जूम इन करें', 'वाइड शॉट लें' या पूरी क्षतिग्रस्त संपत्ति को दिखाते हुए पैनोरमिक शॉट लें। भूस्खलन, बाढ़ या हिमस्खलन की तस्वीरें लेते समय आप खुद को सुरक्षित रखते हुए सही स्थान का चयन करें। यदि आप लोगों, विशेष रूप से पीड़ितों और


उत्तरजीवियों की तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो आपके शॉट्स मुख्य रूप से 'क्लोज-अप' होने चाहिए, क्योंकि वे भावनाओं को सबसे अच्छी तरह से पकड़ते हैं। फोटोग्राफी करते समय आपका संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदा से पीड़ित लोग नुकसान, तबाही और दुःख का सामना कर रहे होते हैं। लोगों की तस्वीरें खींचते समय, आशा और साहस को दर्शाने वाली फोटो भी ले। केवल भय, भ्रम और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित न करें।



प्राधिकरण की गतिविधिया (फरवरी से जून, 2021)

भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक राज्य के सभी 38 जिलों के साथ साथ भूकम्पीय जोन V के 8 जिलों (किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी) में से दरभंगा एवं मधुबनी को छोड़ बाकी के 6 जिलों में भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर अनुभवी राजमिस्त्रियों के सात दिवसीय प्रशिक्षण का दूसरे बैच का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया।



इस प्रकार दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक कुल 17,544 अनुभवी राजमिस्त्रियों को एवं राज्य के सभी 37 जिलों (समस्तीपुर को छोड़) में (मुख्यालय सहित) कुल 2633 असैनिक अभियंताओं को भवनों के भूकम्परोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक विषय पर प्रशिक्षित किया जा चुका है।

दिनांक 24 जून 2021 को राजमिस्त्रियों के अभियंता प्रशिक्षकों के साथ Goto Meeting App के माध्यम से होने वाले जिलों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों के ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स के बारे में चर्चा एवं समीक्षा की गयी। जून 2021 में लॉकडाउन के दौरान जिलों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों के लिए Goto Meeting App के माध्यम से शाम 7:00 बजे से 8:300 बजे तक रिफ्रेशर कोर्स का कार्यक्रम चलाया गया। जिसमें 327 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

रिपोर्ट-प्रवीण कुमार

भूकंप सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन

न्यूज चैनल पर प्रसारित खबर



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा भूकम्प सुरक्षा मॉकड्रिल का दो दिवसीय आयोजन दिनांक 12.02.2021 को पटना वीमेन्स कॉलेज के 1500 छात्राओं एवं महाविद्यालय के पदाधिकारी और एस.डी.आर.एफ. द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य हितभागी यथा-बिहार अग्निशाम सेवाएं, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग, पटना ट्रैफिक पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्यक्रम के पहले दिन छात्राओं को समूह में बांटकर प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि सुरक्षा, सी.पी.आर. संबंधी एस.डी.आर.एफ. के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मॉकड्रिल के दौरान निर्धारित समय पर भूकम्प आने की सूचना के लिए सायरन बजाया गया। कुछ ही देर बाद छात्राओं एवं प्राध्यापिकाओं ने सिर पर हाथ रख एवं बैग लेकर सफलतापूर्वक निर्धारित सुरक्षित स्थल पर एकत्रित हुए। इस प्रकार छात्राओं की गिनती के बाद घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल व प्राथमिक चिकित्सा देकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस मौके पर छात्राओं को बिहार अग्निशाम सेवाएं के विशेषज्ञों द्वारा भूकम्प के दौरान अगलगी की घटना में सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी।

इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्या डॉ० एम. रश्मि ए.सी., नोडल ऑफिसर डॉ० आशीष कुमार, सिविल डिफेंस के एस.पी. श्री विजय कुमार, एस.डी.आर.एफ. के द्वितीय कमान अधिकारी श्री के.के. झा आदि उपस्थित थे।

रिपोर्ट-डॉ मधु बाला

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम



वर्तमान समय में Covid-19 वैश्विक महामारी के कारण राज्य के सभी विद्यालय बंद हैं, नतीजतन सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम भी विद्यालयों में नहीं चलाया जा सका है। इस वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी/गैर-सरकारी/मदरसा बोर्ड/संस्कृत शिक्षा बोर्ड तथा अन्य विभागों के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों के एक-एक फोकल शिक्षकों का ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। फोकल शिक्षकों के तीन दिनों के पूर्व

निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को ऑनलाइन 13 सत्रों में विभाजित कर प्रत्येक फोकल शिक्षकों को 13 सत्रों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जा रहा है। दिनांक 31 मई 2021 से वैशाली जिले के फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। जून 2021 में वैशाली, मुंगेर खगड़िया एवं सारण जिलों के फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ तथा सिवान जिले के फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण दिनांक 30 जून से प्रारंभ हुआ। जून माह में फोकल शिक्षकों के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैशाली जिले के 2356 विद्यालयों के अधिकतम 1992, मुंगेर और खगड़िया जिले के कुल 2454 विद्यालयों के अधिकतम 1495, सारण जिले के 3123 विद्यालयों में अधिकतम 1564 प्रतिभागियों और सिवान जिले के कुल 2851 विद्यालयों के अधिकतम 2062 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

रिपोर्ट—डॉ पल्लव कुमार

अग्नि सुरक्षा पर आधारित कार्यशाला



अग्नि सुरक्षा के मद्देनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा Guidelines for Prevention and Mitigation of Fire Disasters मार्गदर्शिका जिसका निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम – 2005 की धारा 18 (2) (D) के आलोक में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन हेतु किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के सभा कक्ष में दिनांक 25.02.2021 को अग्नि सुरक्षा पर

आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी एवं सदस्य, श्री पी. एन. राय के साथ-साथ, महासमादेष्टा-सह-महानिदेशक, बिहार अग्निशाम सेवाएं तथा गृह रक्षावाहिनी, श्रीमती शोभा अहोतकर, सचिव, पी.एच.ई.डी., श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव एवं उर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिलों के 250 प्रतिनिधियों ने वर्चुअल रूप से इस आयोजन में शामिल हुए।

रिपोर्ट—डॉ मधु बाला

सड़क सुरक्षा सप्ताह

(01 से 07 फरवरी, 2021) ”

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021” तक मनाये जाने की घोषणा की गई। इस आलोक में प्रत्येक वर्ष की भांति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 01 से 07 फरवरी तक “सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021” मनाने जाने का निर्णय लिया गया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा “सड़क सुरक्षा



सप्ताह 2021” के दौरान सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा के लिए तैयारी बैठक का आयोजन श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 13 जनवरी 2021 को प्राधिकरण के सभागार में किया गया। सभी प्रतिभागियों द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य एवं जिले के स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों के संबंध में निर्णय लिए गए।

सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 के दौरान प्राधिकरण स्तर से विभिन्न हितभागियों के सहयोग से किये गये कार्य प्रत्येक वर्ष की भांति कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए “सड़क सुरक्षा सप्ताह (01-07 फरवरी 2021)” के दौरान इस आयोजन में प्राधिकरण द्वारा सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चम्पारण जिलों में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु साइकिल रैली निकाली गई।

प्राधिकरण द्वारा स्वयंसेवी संगठन संकल्प ज्योति संस्था के सहयोग से पटना के 10 चिह्नित दुर्घटना प्रवण स्थलों यथा चिरैयाटांड पुल के नीचे, धनुकी मोड़, जीरो माइल, बेऊर मोड़, अनिसाबाद मोड़, टमटम पड़ाव, भगत सिंह चौक, कुर्जी मोड़, किदवईपुरी मोड़ और रूकनपुरा आदि स्थानों पर लाइफ सपोर्ट सह गुड समैरिटन सोसायटी का गठन किया गया। इस सोसायटी में 04-05 सक्रिय स्थानीय दुकानदारों, निवासियों, वाहन चालकों आदि को शामिल किया गया है। इस समिति के गठन का उद्देश्य लोगों की गुड समैरिटन गाइडलाइन्स के बारे में अवगत कराया गया। उल्लिखित स्थानों पर प्राधिकरण स्तर से समिति के सदस्यों को फर्स्ट एड किट प्रदान किया गया।

प्राधिकरण द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से बचने हेतु सलाह (Advisory) को पटना शहर के विभिन्न स्थानों यथा विस्कोमान भवन, गांधी मैदान, पटना वीमेन्स कॉलेज के पास, पंत भवन के पास, विश्वेश्वरैया भवन के पास, इको पार्क गेट नं0-01 एवं 02 के पास, पटना जंक्शन महावीर मंदिर के पास, चिड़ियाघर गेट नं0-02 के पास, राजवंशीनगर बेली रोड, हनुमान मंदिर आदि स्थानों पर होर्डिंग्स डिस्प्ले किया गया।

प्राधिकरण द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, पटना, एम्स, पटना, कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस एवं अन्य हितभागियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान 01, 04, एवं 05 फरवरी 2021 को राज्य के चिह्नित जिलों यथा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर एवं

NH-77, 83, 30 आदि नेशनल हाइवे पर स्थित थानों के पुलिस पदाधिकारियों का सड़क सुरक्षा, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, गुड समैरिटन गाइडलाईन्स आदि के बारे में ऑनलाइन संवेदीकरण किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 250 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। पूर्णिया जिले के सामुदायिक स्वयंसेवकों/नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार विषय पर ऑनलाइन संवेदीकरण दिनांक 02.02.2021 को किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 272 हितभागियों ने भाग लिया गया।

दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार प्रदान करना एवं उन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाना है। समिति के सदस्यों दिनांक 03 फरवरी 2021 बीमा कंपनियों के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों का **Claims Settlement** विषय पर ऑनलाइन संवेदीकरण किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 20 हितभागियों ने भाग लिया।

प्राधिकरण द्वारा एम्स, पटना एवं कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दिनांक 06.02.2021 को पेट्रोल पम्प/ढाबा के मालिकों एवं कर्मियों का सड़क सुरक्षा, अस्पताल पूर्व चिकित्सा एवं गुड समैरिटन गाइडलाईन्स आदि के बारे में ऑनलाइन संवेदीकरण किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 25 से अधिक पेट्रोल पम्प/ढाबा के मालिकों एवं कर्मियों ने भाग लिया।

सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 के दौरान ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन/बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ/ऑटो टेम्पो यूनियन आदि के सहयोग से पटना शहर सहित राज्य के अन्य जिलों में सड़क सुरक्षा एवं कोविड-19 जन-जागरूकता सामग्रियों तथा परिचर्चा के माध्यम से प्रचार व प्रसार किया गया। प्राधिकरण द्वारा प्रचार-प्रसार अभियान में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए 1,000 फेश मास्क भी उपलब्ध कराए गए।

“सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021” के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पूर्णिया, गया एवं औरंगाबाद के सहयोग से आयोजित की गई गतिविधियां इस प्रकार हैं:-

- सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 के दौरान मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पूर्णिया, गया एवं औरंगाबाद जिलों में निम्नलिखित प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गये :
- विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सड़क सुरक्षा सलाह (Advisory) संबंधी होर्डिंग्स का डिस्प्ले।
- साईकिल रैली एवं ऑडियो/वीडियो क्लिप द्वारा चलंत वाहन के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- सड़क सुरक्षा आग्रह, कार्यशाला, पंचायत स्तर पर विचार गोष्ठी, स्लोगन लेखन, वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता, दीवाल लेखन एवं चित्रकारी तथा समुदाय के बीच सड़क सुरक्षा संबंधी पम्पलेट्स का वितरण।
- **Road Safety Clinic** के द्वारा अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण।
- ऑटो एवं अन्य वाहन चालकों हेतु सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार विधियों पर आधारित प्रशिक्षण।
- उल्लिखित जिलों में विभिन्न प्रकार के जन-जागरूकता कार्यक्रमों में लगभग 3920 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

रिपोर्ट- डॉ जीवन कुमार

बहुत जरूरी हो तो ही
घर से बाहर निकलें।

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा में युवक/युवतियों एवं उनके परिवारों को सुरक्षित रहने के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम 30 नवम्बर 2019 से प्रारंभ किया गया है कोविड-19 के कारण इस कार्यक्रम को मार्च 2020 में स्थगित करना पड़ा। सारण जिले के नेशनल हाइवे -19 पर अवस्थित 22 विद्यालयों/महाविद्यालयों में यह कार्यक्रम आयोजित हुए। अभी तक विभिन्न

विद्यालयों/महाविद्यालयों के लगभग 2100 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं की भागीदारी हुई।

इस कार्यक्रम में परिवहन विभाग, AIIMS पटना, संकल्प ज्योति और प्रेरणा के साथ-साथ अन्य संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को विभिन्न जिलों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख शहरों के किनारे एवं आसपास के उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चलाया जाना है।

उक्त कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी विडियो क्लीप्स (क्या करें, क्या नहीं करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुये छात्र/छात्राओं द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार-प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियों का सम्पादन किया जाता है। इस संबंध में मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गयी है।

कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को पुनः फरवरी 2021 में प्रारंभ किया गया। फरवरी माह 2021 में जहानाबाद एवं वैशाली जिले के अन्तर्गत अवस्थित निम्नलिखित विद्यालयों/संस्थानों में यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

इस कार्यक्रम में विद्यालयों के लगभग 600 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा AIIMS, पटना और संकल्प ज्योति सेफटी एलायन्स के सहयोग से दिनांक 13 फरवरी 2021 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में सड़क सुरक्षा एवं अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेरणा नुक्कड़ नाटक टीम के द्वारा सड़क दुर्घटना के कारणों एवं बचाव के बारे में प्रस्तुति दी गई। प्रतिभागियों के बीच प्रचार-प्रसार सामग्रियों का वितरण, सड़क सुरक्षा जिंगल का प्रसारण एवं विश्वविद्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा सलाह/उपायों संबंधी होर्डिंग लगाया गया। इसी क्रम में एक होर्डिंग का अधिष्ठापन राष्ट्रीय चाणक्य विधि विश्वविद्यालय परिसर में भी लगाया गया।

AIIMS, पटना टीम के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पूर्व प्राथमिक चिकित्सा देने के तरीकों के बारे में प्रायोगिक अभ्यास कर बताया गया। स्वयंसेवी संगठन संकल्प ज्योति के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं रोकथाम के उपायों, यातायात नियमों, संकेतों एवं गुड समैरिटन गार्डलाइंस आदि के बारे में प्रस्तुतीकरण कर विस्तार से जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के अलावा विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दीघा, मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर और मुंडेश्वरी कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन के लगभग 125 शिक्षक एवं छात्र/छात्राओं ने भाग लिया।

रिपोर्ट- डॉ जीवन कुमार

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम: मास्टर ट्रेनर्स का रिफ्रेशर प्रशिक्षण



सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स के रिफ्रेशर प्रशिक्षण के आयोजन हेतु NINI एवं SDRF के पदाधिकारियों एवं Resource Person के साथ दिनांक 17.02.2021 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पटना, वैशाली, भोजपुर, बेगूसराय एवं खगड़िया जिलों के चिह्नित प्रखण्डों के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स का 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत मार्च माह 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। उल्लिखित 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सत्रों में सम्पादित किये जाने वाले पाठ्यक्रम पर विमर्श एवं इसका निर्धारण किया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले मास्टर ट्रेनर्स को कोविड-19 की RTPCR जांच करवाना आवश्यक है और Negative रिपोर्ट लेकर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। RTPCR जांच में यदि उनकी राशि व्यय होती है तो प्राधिकरण के स्तर से इसका समायोजन किया जायेगा। सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स के रिफ्रेशर प्रशिक्षण के आलोक में NINI एवं एस०डी०आर०एफ० के प्रशिक्षकों का संवेदीकरण दिनांक-23.02.2021 को प्राधिकरण के सभागार में किया गया। वहीं 'सुरक्षित तैराकी' कार्यक्रम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा NINI एवं SDRF के सहयोग से पटना, वैशाली एवं बेगूसराय जिलों चिह्नित प्रखण्डों के मास्टर ट्रेनर्स का 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण मार्च 2021 में सम्पन्न हुआ।

कोविड-19 की के कारण समुदाय स्तर पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मार्च माह 2020 में स्थगित करना पड़ा। मास्टर ट्रेनर्स को समुदाय स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया गया।

इस रिफ्रेशर प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स की भागीदारी में 09 दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति एवं उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। रिफ्रेशर प्रशिक्षण के दौरान समुदाय स्तर पर बालक/बालिकाओं के लिए निर्धारित 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में तैराकी प्रशिक्षण की तकनीकी ज्ञान, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, बंशी-जाल एवं झगगड़/काँटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, सर्पदंश प्रबंधन एवं बाल संवेदनशीलता आदि विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी दी गयी।

मार्च, 2021 में सम्पन्न रिफ्रेशर प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है:-

क्र०सं०	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	रिफ्रेशर प्रशिक्षण की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	पटना	मनेर एवं पंडारक	03-05 मार्च, 2021	16
2.	पटना	मनेर (महिला)	08-10 मार्च, 2021	14
		फतुहा (महिला)		01
3.	वैशाली	महनार	17-19 मार्च, 2021	16
4.	बेगूसराय	मटिहानी, बेगूसराय, सा० कमाल, बलिया एवं बरौनी	24-26 मार्च, 2021	17
	वैशाली	हाजीपुर		04
			कुल	68

**फेफड़े ने है आवाज लगाई,
मास्क पहन ही निकलो भाई।**

अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम के तहत फरवरी माह को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में अग्नि से सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय किया जाना आवश्यक है। इस आलोक में यह निर्णय लिया गया कि अग्नि सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सभी अस्पतालों की वर्तमान स्थिति का आकलन जरूरी है। इस उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग को फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का दायित्व सौंपा गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के मापदण्डों के अनुसार अलग-अलग बिन्दुओं पर इन अस्पतालों की जाँच होगी। इन मानकों पर प्राप्त अंकों के आधार पर अस्पतालों की रैंकिंग की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय किये जायेंगे ताकि अस्पतालों को अग्नि से सुरक्षित बनाया जा सके एवं अगलगी की आशंकाओं को कम कर इससे होने वाले जान व माल को क्षति को रोका जा सके।



भागलपुर स्थित सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण: दिनांक 08.02.2021 को जिला अग्निशाम के पदाधिकारियों और प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर भागलपुर के तीन सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। जिसमें समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सबौर, भागलपुर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सदर अस्पताल, भागलपुर शामिल हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों अस्पतालों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है:-

1. अस्पताल भवनों में बिजली पैनल, उपकरण एवं गुणवत्ता एवं क्षमतायुक्त उच्च बिजली के तारों को लगाना।
2. अस्पतालों में अग्निशमन यंत्र एवं उचित संख्या में फायर बॉल लगाना।
3. आकस्मिक/फायर निकास को चिह्नित एवं प्रदर्शित करना।
4. बिजली के तारों को जोड़ने के लिए ग्लैंड का इस्तेमाल करना।
5. फायर एलार्म, हूटर, पी.ए. सिस्टम आदि लगाना।
6. एफ.आर.पी. बनाना एवं सुरक्षाकर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सबौर में जेनरेटर के अर्थिंग को ठीक करने तथा ट्रांसफार्मर के नीचे साफ-सफाई की जरूरत है। यहां 10 अदद अग्निशमन यंत्र एवं 05 फायर बॉल लगाने की आवश्यकता है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में पैनल के नीचे रबर मैट लगाना, जेनरेटर अर्थिंग को ठीक करना एवं खरपतवार, घास आदि की सफाई की जरूरत है। वार्ड और बरामदा को अवाधित रखने तथा फायर नियंत्रण कक्ष की स्थापना आदि महत्वपूर्ण हैं। सदर अस्पताल में ब्लड बैंक के बगल में ट्रांसफार्मर के तार को और ऊँचा करने, 40 अग्निशमन यंत्र एवं 12 अदद फायर बॉल लगाने की जरूरत है।

इस प्रकार '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' में प्राप्त अंकों एवं निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार इन अस्पतालों को त्वरित रूप से उपर्युक्त उपायों की आवश्यकता है जिससे इन अस्पतालों को आग से सुरक्षित बनाया जा सके।

- वहीं दिनांक 01.03.2021 को बिहार अग्निशमन सेवाएं के सहयोग से अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया का निरीक्षण किया गया। '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर निरीक्षण के दौरान इस अस्पताल में अग्नि सुरक्षा से संबंधित कई कमियां पाई गईं, जिसमें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विद्युतीय कनेक्शन, वायरिंग की स्थिति, जेनरेटर का अर्थिंग आदि का न होना, अग्निशमन के लिए पर्याप्त उपकरणों का अभाव, फायर रिस्पांस प्लान तैयार न होना, अलार्म सिस्टम, हूटर आदि का सही से काम न करना, पोर्टेबल धुआं निकासी यंत्र एवं नियंत्रण कक्ष का न होना इत्यादि प्रमुख हैं। इसे दुरुस्त कर अस्पताल को अग्नि से काफी हद तक सुरक्षित बनाया जा सकता है।
- दिनांक 04.03.2021 को बिहार अग्निशमन सेवाएं के महानिदेशक सह महासमादेश्टा के नेतृत्व में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वरीय प्राधिकरण के सदस्य डॉ० मिश्र के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई।
- बैठक में 'अग्नि सुरक्षा कार्य योजना क्रियान्वयन मॉनिटरिंग समिति' की पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों के आलोक में किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई एवं निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये :-
 1. अग्निशमन सेवाएं द्वारा फायर इंजीनियरिंग सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना।
 2. फायर इंजीनियरिंग के कार्यों के लिए दो अतिरिक्त पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित / प्रतिनियुक्ति किये जाने हेतु संबंधित विभाग को पत्र द्वारा अवगत कराना।
 3. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को पटना शहर में अग्निशमन संबंधी उप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील करने के संबंध में अनुरोध करना।
 4. फायर इंजीनियरिंग के मिड टर्म एवं लॉग टर्म अग्नि सुरक्षा उपायों को दर्शाते हुए मॉडलों का निर्माण करवाना एवं इसके प्रदर्शन के द्वारा लोगों को जागरूक कर उनका क्षमतावर्धन करना।
 5. प्रत्येक डिविजनल हेडक्वार्टर में फायर सेफ्टी प्रोजेक्ट की पाइलेटिंग करना।
 6. स्कूल एवं कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा विषय पर लोगों को जागरूक करना।
 7. संस्थाओं एवं भवनों को फायर रिस्पांस प्लान बनाने में सहयोग करना।
 8. अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाना। इस संबंध में फायर टेंडर गाड़ियों एवं विभाग के कार्यों के बारे में बच्चों को प्रदर्शन द्वारा अवगत कराना एवं समुदाय और फायर कर्मी के बीच सहज संवाद व समन्वय स्थापित करना।
 9. फॉयर ऑडिट सम्बन्धित कार्यों में, खास कर विद्युतीय भार जांच आदि में स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं ऊर्जा विभाग का सहयोग लेना।
 10. पेट्रोल पंप, गैस गोदाम एवं तेल भंडारण के स्थानों को अग्नि से सुरक्षित बनाने के लिए उपयुक्त कार्य योजना बनाना एवं इसका क्रियान्वयन कराना।
 11. अग्नि सुरक्षा के नये नियमों को कड़ाई से लागू करवाना।
 12. ग्रामीण आग की रोकथाम पर कार्य करना। हर घर नल जल योजना के साथ मिलकर काम करना। PHED एवं माइनर इरिगेशन विभाग के साथ मिलकर गांवों में फायर हाइड्रेंट का प्रावधान करना।उपरोक्त बिंदुओं पर आगे की कार्यवाई हेतु संबंधित विभागों को पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

- दिनांक 10.03.2021 को आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन सेवा केन्द्र में स्थापित अग्नि सुरक्षा पर बने चारो मॉडलों का महासमादेष्टा सह महानिदेशक, बिहार अग्निशमन सेवाएं के नेतृत्व में अग्निशमन सेवाएं के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री कौशल के द्वारा इन मॉडलों में अधिष्ठापित फायर इंजीनियरिंग के प्रावधानों एवं अग्निशमन के उपायों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। प्रत्येक मॉडल में '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' में शामिल अग्नि सुरक्षा संबंधित उपकरणों एवं उपायों को



- भवनों में कुशल अधिष्ठापन संबंधी जानकारी साझा की गई। साथ ही मॉडलों में दर्शाये गये स्वचालित उपकरणों द्वारा अग्नि की सूचना, रोकथाम एवं संबंधित तकनीकी विशिष्टियों के बारे में बताया गया। इस दौरान अग्निशमन सेवाएं के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ-साथ बिहार स्वास्थ्य सेवा के प्रतिनिधि एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही।
- दिनांक 15.03.2021 को बिहार अग्निशमन सेवाएं द्वारा अग्नि सुरक्षा पर जन प्रतिनिधियों का क्षमतावर्द्धन एवं जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री कौशल द्वारा फायर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट पर लोगों को जानकारी दी गई। विशेष रूप से फायर बॉल की विशेषता एवं अग्निशमन में इसकी सहज उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में बिहार राज्य अग्निशमन सेवाएं के अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
- दिनांक 16.03.2021 को अग्निशमन सेवा के पटना जिला के अग्निशाला पदाधिकारियों को अस्पताल अग्नि सुरक्षा पर बने विडियो के माध्यम से अग्नि सुरक्षा में आधुनिक उपायों एवं उपकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के प्रत्येक बिन्दुओं के बारे में क्रमबद्ध रूप से बताया गया तथा इससे संबंधित प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान किया गया। साथ ही अग्नि अंकेक्षण में इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी बताया गया। चारो मॉडलों के माध्यम से भवनों में फायर इंजीनियरिंग एवं अग्निशमन के प्रावधानों एवं उपायों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी दी गई। साथ ही साथ फायर बॉल की विशेषता एवं इसकी उपयोगिता के बारे में भी उन्हें अवगत कराया गया। इस दौरान जिला समादेष्टा, पटना एवं सहायक राज्य अग्निशाला पदाधिकारी की विशेष उपस्थिति रही।

रिपोर्ट-कुंदन कौशल

''बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक ''प्रशिक्षण''

प्राधिकरण की 5वीं (दिनांक 25.06.2011) एवं 11वीं (दिनांक 16.11.2017) बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में प्राधिकरण द्वारा बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया गया।



बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं। वे मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पॉन्डर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी जैसी आपदाओं में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतएव, यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए।

फरवरी 2021 तक छह चरणों में हुए प्रशिक्षण में कुल 157 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वही सातवें चरण में दिनांक 17.03.2021 से 19.03.2021 तक बिहार पुलिस सेवा के 13 पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किये। इस प्रकार अब तक कुल 170 पुलिस सेवा के पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये हैं। इस प्रशिक्षण में मानव जनित आपदाओं प्राकृतिक आपदाओं, और भीड़ प्रबंधन में पुलिस की भूमिका एवं अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गयी।

रिपोर्ट- डॉ मधु बाला

कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत 'जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा' जागरूकता कार्यक्रम

सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत फरवरी 2021 तक सारण जिले के नेशनल हाइवे-19 पर अवस्थित 22 विद्यालयों/महाविद्यालयों के 2100 छात्र/छात्राओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गयी। 30 नवम्बर 2019 से शुरू यह जागरूकता कार्यक्रम कोरोना की वजह से मार्च 2020 में स्थगित करना पड़ा।



परिवहन विभाग, AIIMS पटना, निर्माण कला मंच एवं रेडक्रॉस के साथ-साथ अन्य संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख शहरों के किनारे एवं आस-पास के अवस्थित उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चलाया जाना है। इस जागरूकता कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित विडियो क्लिप्स "क्या करें, क्या नहीं करें" का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुये छात्र/छात्राओं द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार-प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियों का सम्पादन किया जाता है। इस संबंध में मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गयी है।

कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को पुनः फरवरी 2021 में शुरू किया गया। मार्च माह 2021 में भोजपुर, वैशाली एवं पटना जिले के निम्नलिखित विद्यालयों/संस्थानों में उक्त कार्यक्रम सम्पन्न किया गया जिसमें 900 छात्र/छात्राओं की भागीदारी हुई। यह इस प्रकार है:-

क्र०सं०	दिनांक	विद्यालय का नाम
1.	05.03.2021	श्री हरखन कुमार जैन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आरा, भोजपुर
		एस०टी०एस०वी० इंटरनेशनल स्कूल, आरा, भोजपुर
2.	10.03.2021	होटल प्रबंधन संस्थान हाजीपुर, वैशाली
		ब्रजमोहन दास कॉलेज, वैशाली
3.	19.03.2021	बिहार पब्लिक स्कूल, लालगंज सेहरा, पालीगंज, पटना।
		एस०डी० पब्लिक स्कूल, रकसिया, दुल्हिन बाजार, पटना।

रिपोर्ट- डॉ जीवन कुमार

रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका निर्धारण एवं समन्वय बनाने के लिए 'SOP' के प्रारूप पर विमर्श



“गंभीर रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका के निर्धारण एवं समन्वय बनाने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभागार में बैठक हुई। 17 मार्च 2021 से आयोजित इस बैठक में रेल दुर्घटनाओं में प्रभावितों से त्वरित राहत देने और बचाव के लिए एसओपी के प्रारूप पर विमर्श किया गया। इस बैठक में सदस्य, श्री पी. एन. राय के द्वारा रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन के लिए SOP के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें SOP के चार प्रमुख विदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

1. रेल दुर्घटनाओं / आपदाओं का वर्गीकरण ।
2. दुर्घटनाओं के दौरान उसके प्रबंधन में होते आने वाली समस्याएं विशेषकर भूमिका निर्धारण एवं समन्वय, जिसके कारण प्रभावकारी प्रबंधन का नहीं होना ।
3. विभिन्न एजेंसियों की भूमिका ।
4. सभी एजेंसियों / विभागों के बीच प्रबंधन के लिए समन्वय प्रणाली का प्रारूप ।

बैठक में उपस्थित पूर्व मध्य रेलवे के पदाधिकारियों, रेलवे पुलिस, जिला प्रशासन पटना, एन.डी.आर. एफ., एस.डी.आर.एफ. आदि के द्वारा SOP के विभिन्न घटकों पर उनकी राय ली गई। बैठक में SOP के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रारूपण समिति का गठन किया गया। यह समिति एक माह में SOP का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करेगी।

रिपोर्ट- डॉ जीवन कुमार

ग्रामीण एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण

ग्रामीण विकास पदाधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों की आपदा प्रबंधन में प्रखंड एवं अंचल स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण यह समीचीन है कि उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम, नीति, राज्य योजना, जिला योजना एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप आदि का पूर्ण ज्ञान हो। साथ ही, उनको आपदा रिस्पांस के लिये निर्धारित प्रशासनिक संरचनाओं तथा विशेषज्ञ बलों (NDRF/SDRF) के कार्यों की जानकारी भी हो। विशेष कर विभिन्न आपदाओं के लिए गठित मानक संचालन प्रक्रियाओं, मार्गदर्शिकाओं तथा प्रखंड/अंचल स्तर पर इसके इस्तेमाल के संबंध में उनका अवगत होना भी अत्यावश्यक है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास सेवा एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में 23 से 25 मार्च 2021 तक ए0 एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस पहले बैच में कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें राजस्व सेवा के 24 और ग्रामीण विकास सेवा के एक अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किये।

रिपोर्ट—कुलभूषण

Bihar State Disaster Resource Network की Review मीटिंग

09 जून 2021 को Bihar State Disaster Resource Network की Review मीटिंग हुई। मीटिंग में आठ जिला औरंगाबाद, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, बांका, सीतामढ़ी के Disaster Management Consultant के साथ आपदा प्रबंधन प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्राधिकरण के सदस्य, श्री पी.एन.राय की अध्यक्षता में DM Consultant से अब तक की हुई प्रगति की समीक्षा की गई और Bihar State Disaster Resource Network में Entry के लिए मार्गदर्शन किया। वहीं 11 जून 2021 को नवादा, 17 जून 2021 को बांका, 19 जून 2021 को गया जिले की संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में DM Consultant के साथ सभी लाइन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि व ठक शामिल हुए। बैठक में बिहारा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण की Technical Team द्वारा PPT के माध्यम से BSDRN Portal के Concept एवं पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की जानकारी दी गयी।



BSDRN पोर्टल पर जून 2021 तक 22627 प्रकार के मानव बल समेत अन्य उपकरण से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हुए। यह इस प्रकार है:-

खोज एवं बचाव उपकरण :-	4365
कुशल जनशक्ति :-	6497
परिवहन :-	1238
खाद्य और जल जलस्रोत :-	3493
सुरक्षा और आश्रय:-	4816
आपातकालीन आपूर्ति और सेवाएं :-	2218
कुल संख्या :-	22627



संसाधनों की जानकारी के लिए बैठक

दिनांक 16 मार्च 2021 को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर समाहरणालय ने जिले के सभी लाइन विभागों की बैठक हुई। बैठक में प्राधिकरण के परियोजना पदाधिकारी डॉ पल्लव कुमार के द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का BSDRN के बारे में उन्मुखीकरण किया गया।

रिपोर्ट-सुम्बुल अफरोज

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम: समुदाय स्तर पर बालक/बालिकाओं का प्रशिक्षण



सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत पटना जिले के दानापुर, मनेर एवं पंडारक प्रखण्डों में जिला प्रशासन द्वारा 06 से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं (बालक/बालिकाओं) का प्रशिक्षण मार्च माह 2021 के तीसरे सप्ताह में प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से प्रारंभ हुआ। प्राधिकरण स्तर से कार्यक्रम संचालन हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया जिसमें 21 मार्च को दो बालक, 20 मार्च को तीन बालिका एवं एक बालक बैच को प्रशिक्षित किया गया।

रिपोर्ट-डा. जीवन कुमार

गाँव, शहर हो या नगर,
फेस मास्क के साथ ही सफर।

पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण



बिहार एक बहु आपदा प्रवण राज्य है, यहां लगभग सभी तरह के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती हैं। यह राज्य जहाँ एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप को झेलता है वहीं दूसरी ओर सुखाड, अग्निकांड, शीतलहर एवं लू आदि आपदाओं से भी राज्य का एक बड़ा भू-भाग प्रभावित होता रहता है। इन आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते हैं। आपदाओं की स्थिति में मानव के साथ-साथ पशुधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि आपदाओं को घटित होने से रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशुधन सहायकों का कौशल विकास और आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

“आपात स्थिति में पशु प्रबंधन” विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, के पशुधन सहायकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार भेटनरी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 15 फरवरी, 2021 से आरम्भ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बहु आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद किस तरह पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जाय। फरवरी 2021 तक कुल 02 बैचों में 57 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

रिपोर्ट-अशोक कुमार शर्मा

बहुत जरूरी हो तो ही
घर से बाहर निकलें।

बाढ़ एवं कोविड से बचाव संबंधी उपायों एवं सावधानियों की जानकारी के लिए जन-जागरूकता अभियान



प्राधिकरण एवं OXFAM, पटना के संयुक्त तत्वाधान में जन-जागरूकता वैन के द्वारा बाढ़ एवं कोविड से बचाव संबंधी उपायों एवं सावधानियों (क्या करें, क्या नही करें) के बारे में समुदाय के बीच प्रचार-प्रसार किया गया। यह कार्यक्रम जून माह के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में पटना, मधुबनी एवं सीतामढ़ी जिले के 7 प्रखण्डों के 46 गाँवों में संचालित किया गया। प्रचार-प्रसार के दौरान प्राधिकरण द्वारा बाढ़ एवं कोविड से बचाव संबंधी उपायों एवं सावधानियों हेतु तैयार किए गए पम्पलेट का वितरण किया गया।

रिपोर्ट-अशोक कुमार शर्मा


कोविड संक्रमण से बचाव एवं बाढ़ पूर्व तैयारी: सितामढ़ी जिले के विभिन्न संस्थाओं का ऑनलाईन संवेदीकरण

राज्य के सभी जिले कोविड संक्रमण से त्रस्त हैं। वहीं लॉकडाउन के कारण राज्य के प्रवासी भी वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। मई में कोरोना संक्रमण चरम पर पहुंच चुका है। राज्य के 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिले की श्रेणी में आते हैं। जुलाई में राज्य में मानसून एवं नेपाल से आने वाली बरसाती नदियों की बाढ़ से सभी जिले पूर्ण रूप से प्रभावित होते रहते हैं। इन आपदाओं का पंचायतों में न्यूनतम प्रभाव पड़े, इसके लिए पूर्व तैयारी एवं प्रत्युत्तर के लिये आम जनमानस में वृहद पैमाने पर जागरूकता की आवश्यकता है। वर्तमान कोविड के परिदृश्य में बाढ़ से बचाव के लिए ऑनलाईन संवेदीकरण के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सीतामढ़ी जिले के लिये कार्यक्रम का आयोजन यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। इस जागरूकता कार्यक्रम में 1052 प्रतिनिधियों को कोविड संक्रमण और बाढ़ से बचाव के लिए संवेदित किया गया।

बाढ़ पूर्व तैयारी एवं प्रत्युत्तर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अति बाढ़ की आपदा प्रवण क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि एवं पंचायतों में कार्यरत सभी कार्यदायी संस्थाओं स्वास्थ्य विभाग, आई.सी.डी.एम. पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र, नेशनल कैडेट कोर के स्वयंसेवकों एवं जीविका दीदी को भी बाढ़ पूर्व तैयारी पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

रिपोर्ट-अशोक कुमार शर्मा


स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का कोविड महामारी प्रबंधन के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिहार के सभी जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों, नगर निकायों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को कोविड महामारी से बचाव, रोकथाम एवं 'घर में आइसोलेशन व क्वारंटीन' के दौरान की सावधानियां विषय पर वेबिनार के माध्यम से संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसमें गोपालगंज, सिवान, पू० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, रोहतास, कैमूर, खगड़िया, भोजपुर, बक्सर, जमुई, नवादा, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, जहानाबाद, बांका, शेखपुरा, पटना एवं नालंदा जिले के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संबंधित जिलों के अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन), वरीय उपसमाहर्ता (आपदा प्रबंधन), अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला परिषद् अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, मुखिया एवं सरपंच, नगर निकायों के महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक के साथ साथ अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। इस संवेदीकरण कार्यक्रम में कोविड महामारी से बचाव, रोकथाम एवं घर पर आइसोलेशन व क्वारंटीन के दौरान की सावधानियों के बारे में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के प्रश्नोत्तर सत्र में एम्स, पटना के डॉक्टर द्वारा प्रतिभागियों को कोविड संक्रमण एवं टीकाकरण के संबंध में पूछे गये सवालों का जबाव दिया गया। इस वेबिनार कार्यक्रम के 18 बैचों में 1363 प्रतिभागियों की भागीदारी हुई। इस कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 2160 प्रतिभागियों को संवेदीकरण किया जा चुका है।

जीविका दीदियों का संवेदीकरण



प्राधिकरण के द्वारा जिलावार "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषयक प्रशिक्षण के अन्तर्गत जीविका के सभी पदाधिकारियों एवं दीदियों को बाढ़, वज्रपात एवं कोविड-19 से बचाव विषय पर वेबिनार के माध्यम से संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवेदीकरण कार्यक्रम में राज्य, जिला एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक, एरिया कॉर्डिनेटर, प्रशिक्षण पदाधिकारी एवं जीविका दीदियों की भागीदारी हुई। इस कार्यक्रम में कोविड महामारी से बचाव एवं घर में ही आइसोलेशन के दौरान की सावधानियां, बाढ़ एवं वज्रपात प्रबंधन: बचाव एवं तैयारी के बारे में विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में कोविड से संबंधित प्रश्नोत्तर सत्र में एम्स, पटना के डॉक्टर द्वारा सभी प्रतिभागियों को कोविड संक्रमण एवं टीकाकरण के संबंध में पूछे गये सवालों का जबाव विस्तार से दिया गया। दो बैचों में आयोजित वेबिनार में 135 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम के तहत अब तक आयोजित वेबिनार में कुल 460 प्रतिभागियों को संवेदित किया गया। यह इस प्रकार है:-

क्र.सं.	दिनांक	जिला प्रतिभागी	प्रतिभागियों की संख्या
1.	29.06.2021	अररिया	60
2.	30.06.2021	किशनगंज	75
कुल प्रतिभागियों की संख्या			135

अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम



‘अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम’ के तहत अग्निशाम सेवाएं द्वारा ‘16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक’ के आधार पर राज्य के 548 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। जिसमें 467 गैर कोविड एवं 81 कोविड अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का अग्नि अंकेक्षण के दौरान अग्नि सूचकांक आधारित अग्नि सुरक्षा उपायों को त्वरित रूप से अपनाने एवं उनसे संबंधित उपकरणों का अस्पताल भवनों में अधिष्ठापन पर जोर दिया गया।

दिनांक 29.06.2021 को राज्य अग्निशाम सेवाएं द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अस्पताल अग्नि सुरक्षा पर विशेष चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्राधिकरण प्रतिनिधि कुन्दन कुमार कौशल द्वारा उपस्थित सभी जिला समादेष्टा एवं अन्य अधिकारियों से अंकेक्षित अस्पतालों का पुनः जांच करवाने का आग्रह किया गया जिससे इन अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा संबंधित किये गये उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके एवं अग्निप्रवणता सूचकांक के आधार पर उनकी वर्तमान स्थिति के अनुसार उचित दिशा-निर्देश दिया जा सके। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अग्नि अंकेक्षण रिपोर्ट संबंधित हितधारकों/विभागों को साझा किया जाय एवं पत्राचार द्वारा उन्हें उनके कार्यों/दायित्वों के बारे में अवगत कराया जाय, ताकि इससे संबंधित विभाग अस्पतालों को अग्नि से सुरक्षित बनाने में अपना दायित्व को सुनिश्चित कर सकें। इस बैठक में कुल 26 उपस्थित थे।

बैठक के उपरान्त नव पदास्थापित उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा एवं समादेष्टा मुख्यालय, अग्निशाम सेवा का अस्पताल अग्नि सुरक्षा पर बने मॉडलों के माध्यम से उन्मुखीकरण किया गया। इस दौरान उन्हें मॉडल द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधी उपायों एवं उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें मुख्य रूप से फायर इंजीनियरिंग, आग न लगने देने के उपाय के साथ-साथ आग लगने की सूचना स्वतः संचालित यंत्रों द्वारा उचित स्थान पर पहुंचाने एवं आग बुझाने के त्वरित उपाय आदि शामिल हैं। माह जून -2021 तक कोविड संबंधी उपचार के 29-सरकारी, 52-निजी, 112-नॉन कोविड सरकारी अस्पताल एवं 355-निजी अस्पताल के भवनों का ऑडिट किया गया।

कोविड संक्रमण बाढ़ , वज्रपात एवं सर्पदंश प्रबंधन के लिए सामुदायिक वॉलेंटियर का संवेदीकरण

राज्य में कोविड संक्रमण के साथ-साथ मानसून का आगमन हो चुका है। राज्य में मॉनसून आने के पहले सप्ताह से ही कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी भी दी जा चुकी है वहीं बाढ़ की संभावना भी बनी हुयी है। इन आपदाओं के साथ मानसून अवधि के दौरान वज्रपात, डूबने एवं सर्पदंश की घटनाओं के दृष्टिगत जून 2021 में विभिन्न जिलों के पंचायतों में चिह्नित सामुदायिक वॉलेंटियर के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोविड महामारी से बचाव संबंधी क्या करें क्या न करें एवं क्या सावधानियां बरतनी है, बाढ़ पूर्व तैयारी, वज्रपात एवं डूबने से होने वाली घटनाओं से बचने के उपाय से संबंधित विषयों पर विषय- विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी दी गयी। कार्यक्रम की विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	दिनांक	जिला	सम्मिलित प्रखण्ड	प्रतिभागियों की संख्या (लगभग)
1.	08.06.2021	पूर्णिया	अमौर, बैसा, बैसी, बनमनखी, बरहरा, भवानीपुर, डगरुआ, धमदाहा	144
2.	10.06.2021	पूर्णिया	जलालगढ़, कस्बा, कृत्यानंद नगर, पूर्णिया पूर्व, रूपौली, श्रीनगर	168
3.	12.06.2021	सीतामढ़ी	बैरगनियां, बाजपट्टी, बथनाहा, बेल्सण्ड, बोखड़ा, चौरौट, डुमरा, मेजरगंज, नानपुर	70
4.	14.06.2021	सीतामढ़ी	परिहार, परसौनी, पुपरी, रीगा, रून्नीसैदपुर, सोनबरसा, सुप्पी, सुरसंड	90
5.	16.06.2021	बेगूसराय	बेगूसराय, बरौनी, तेघरा, बछवारा, साहेबपुर कमाल, बलिया, भगवानपुर, मटिहानी, चेरिया, बरियारपुर	132
6.	18.06.2021	बेगूसराय	बखरी, छौराही, गढ़पुरा, नवकोठी, बीरपुर, खोदाबंदपुर, मनसुरचक, डंडारी, साम्हो	140
7.	21.06.2021	खगड़िया	अलौली, खगड़िया, चौथम, मानसी, गोगरी, बेलदौर, परबत्ता	75
8.	23.06.2021	मुजफ्फरपुर	कांटी, मुसहरी, मरवन, ढोली, सकरा, सरैया, पारो, साहेबगंज	96
9.	25.06.2021	मुजफ्फरपुर	मोतीपुर, मीनापुर, औराई, बोचहा, कटरा, गायघाट, बंदरा, कुढ़नी	124
10.	28.06.2021	औरंगाबाद	औरंगाबाद, रफीगंज, नबीनगर, गोह, कुटुंबा	78
11.	30.06.2021	औरंगाबाद	ओबरा, मदनपुर, दाऊदनगर, बारून, देव एवं हसपुरा	65
कुल प्रतिभागियों की संख्या				1182

आपदाओं से बचाव के लिए जीविका दीदियों का ऑनलाईन संवेदीकरण

कोविड महामारी की गंभीरता एवं प्रसार को देखते हुए मानसून अवधि के दौरान जीविका दीदियों के द्वारा क्या-क्या सावधानी बरतें और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जानी वाली बाढ़ पूर्व तैयारी एवं वज्रपात से बचने के उपाय विषयों पर आधारित कुल 15 जिलों के जीविका दीदियों का ऑनलाईन अभिमुखिकरण कार्यक्रम किया गया। यह आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यूनिसेफ एवं जीविका के संयुक्त तत्वावधान में जून 2021 में सम्पन्न हुआ। इस माह मधेपुर, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पू० चम्पारण, भागलपुर, बेगूसराय एवं पूर्णिया जिलों से कुल 3768 प्रतिभागियों की भागीदारी हुई।

प्रतिभागियों में जीविका परियोजना से जुड़ी जीविका दीदी, संगठन नेत्री, कार्यकर्ता शामिल थे।

मास मैसेजिंग

बिहार एक बहु-आपदा प्रवण राज्य है, जहां सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती रहती हैं। यह राज्य जहां एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलता है, वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर लू, वज्रपात इत्यादि आपदाओं से भी राज्य का एक बड़ा भू-भाग प्रभावित होता है। भूकंप की दृष्टि से भी बिहार अत्यन्त संवेदनशील है। प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, परंतु बेहतर आपदा प्रबंधन एवं इसके सुदृढीकरण से नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके लिए आम लोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें' की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों से दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (चयनित-207429, गैर चयनित-435699), जीविका दीदी- (148890), आशा कार्यकर्ता (77542), आगनबाड़ी सेविका (45946) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्रियों में उपस्थित अन्य लगभग 36 लाख नंबर पर विभिन्न आपदाओं के बारे में समय-समय पर नियमित मास मैसेजिंग (सामूहिक संदेश संप्रेषण) किये जाते हैं।

मास मैसेजिंग आपदा प्रबंधन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण यूनिट बन गया है। जिसका उपयोग न केवल Early Warning तक सीमित है, बल्कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों जैसे Disaster Preparedness, Mitigation पर जागरूकता एवं बचाव हेतु भी जानकारी भेजी जाती है। इस तकनीक की मदद से कम समय में को Text Message के रूप में क्या करें, क्या न करें की जानकारी दी जा रही है। माह मई-2021 में 5787993 मास मैसेजिंग किया गया।

- आसमान में बिजली के चमकने / गरजने / कड़कने के समय क्या करें-क्या ना करें।
- बाढ़ से पहले क्या करें ना करें।

जनहित में जारी

आसमान में बिजली के चमकने/गरजने/कड़कने के समय :-
यदि आप खुले में हों तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजें जैसे-
लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
उंचे पेड़ के नीचे खड़े न हों।
बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।
समूह में खड़े न हों।
रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित
होने का इंतजार करें।
बाढ़ से कैसे बचे?
उंचे आश्रय स्थल का चयन करें।
दवाएं, रूपए, जेवर, जरूरी कागजात, सूखे भोजन आदि तैयार रखें।
नाव, ट्यूब/लाइफ जैकेट, रस्सियां, तारपोलिन शीट आदि तैयार रखें।
नालियों की सफाई करा लें।
सुरक्षित रास्तों का चयन तथा बचाव की योजना बना लें।
चेतावनी एवं सुचना पर ध्यान दें व समुदाय को बताएं।

रिपोर्ट-मनोज कुमार



तस्वीरों में प्राधिकरण की गतिविधियां



तस्वीरों में प्राधिकरण की गतिविधियां



तस्वीरों में प्राधिकरण की गतिविधियां



वज्रपात से बचाव

क्या करें?

- यदि आप खूले में हों तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
- सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें।
- खिड़की, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- ऐसी वस्तुएं, जो बिजली की सुचालक हों, उससे दूर रहें।
- बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क में आने से बचें व बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- तालाब और जलाशयों से भी दूरी बनाये रखें।
- समूह में खड़े न हो, बल्कि अलग-अलग खड़े रहें।
- यदि आप जंगल में हों तो बौने एवं घने पेड़ों के पास चले जाएं।
- स्थानीय रेडियो या अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।
- यह सुनिश्चित कर लें कि पीड़ित की नाड़ी एवं श्वास चल रही है।
- यदि आप खेत खलिहान में हों और किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुँच सकें तो— जहाँ हों नहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे— लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
- दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर अपने सिर को जमीन के तरफ यथा संभव झुका लें, सिर को जमीन से न लेटें। जमीन पर कदापि न लेटें।
- बाइक, बिजली या टेलिफोन का खंभा, तार की बाड़ मशीन आदि ये दूर रहें।
- धातु से बने कुषि यंत्र डंडा आदि से अपने को दूर रखें।
- बिजली के झटके से घायल होने पर उसे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाएं।

क्या न करें?

- उँचे इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें। बिजली या टेलिफोन के खंभों के पास कदापि शरण न लें, लंबे वृक्ष उंची इमारतें एवं टेलिफोन / बिजली के खंभे आसमानी बिजली को आकर्षिक करते हैं।
- यदि घर में हो तो पानी का नल, फ्रिज, टेलिफोन आदि को न छूएं।
- बाहर हैं तो धातु से बने वस्तुओं का उपयोग न करें।

संयुक्तांक
अप्रैल-जून एवं जुलाई-सितंबर, 2021

तैराकी प्रशिक्षण का दृष्य

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

द्वितीय तल, पंत भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001

फोन: 91 (0612) 2522032, फैक्स: 91 (0612) 2532311

Visit us: www.bsdma.org. Email: info@bsdma.org

